



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 02 मई 2026 ई० (वैशाख 12, 1948 शक संवत्) [संख्या 18

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	219—232	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	295—310	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	827-868	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (पुलिस सेवायें) विभाग

अनुभाग-2

05 जून, 2024 ई0

सं0 297डी0जी0/छ:पु0से0-2-2024—वर्तमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (पे-मैट्रिक्स लेवल-14 रु0 1,44,200—2,18,200) के पद पर प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	प्रोफार्मा प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मोहित गुप्ता	आईपीएस-आरआर-2006	01.01.2024
2	डा0 मनोज कुमार	आईपीएस-आरआर-2006	01.01.2024

आज्ञा से,
योगेश कुमार,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

11 जून, 2024 ई0

सं0 858/छ:पु0से0-1-2024—चयन वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) में प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 09 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति मा0 आयोग पत्र संख्या-09(II)/04/पी/सेवा-1(2)/2023-2024 दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

2— चयन वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में कार्यालय आदेश संख्या-1524/छ:पु0-से0-1-2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत श्री अभितोष त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल 10 रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

3— अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पत्र संख्या-डी0जी0-दो/ब-61ए-2022-2023, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वरिष्ठता सूची के क्रमांक-100 एवं पात्रता सूची के क्रमांक-91 पर अंकित पुलिस निरीक्षक नाग0पु0 श्री अभितोष त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान) अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 जुलाई, 2023 द्वारा निर्गत किया गया है तथा उक्त विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। उक्त सूचना प्राप्त होने

पर मुख्यालय के पत्र दिनांक 04 सितम्बर, 2023 द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रशासन यू0पी0-112 मुख्यालय लखनऊ को उक्त विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त तथा मुख्यालय से अग्रिम आदेश प्रेषित किये जाने तक पुलिस निरीक्षक श्री अभितोष त्रिपाठी को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति संबंधी कार्यभार ग्रहण न कराया जाय, के संबंध में निर्देशित किया गया। श्री अभितोष त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान) अभिसूचना मुख्यालय के दण्डादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 द्वारा उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 4 (1) (ख) (दो) के अंतर्गत एक माह के वेतन के समतुल्य धनराशि के अर्थ-दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा श्री अभितोष त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक, नाग0पु0 के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध सचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से किया गया।

4-उक्त के क्रम में उपसचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-09(ix)/04/पी/सेवा-1 (2)/2023-24, दिनांक 21 मार्च, 2024 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2024 को विभागीय चयन समिति की पुर्नविचार बैठक आहूत की गयी। उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की पुर्नविचार बैठक में श्री अभितोष त्रिपाठी की पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी संस्तुति को निरस्त किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है—

क्र0 सं0	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	अभ्युक्ति/चयन समिति की संस्तुति
1	2	3	4
1	श्री अभितोष त्रिपाठी	100	दिनांक 09 अगस्त, 2023 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में तत्समय शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त संमिति द्वारा श्री अभितोष त्रिपाठी को प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाते हुए तद्नुसार संस्तुति की गई थीं। सम्प्रति शासन के उपरिसंदर्भित पत्रों द्वारा पुलिस अधीक्षक (अधिष्ठान) अभिसूचना मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या-1-ई/ब-6-13/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-4(1)(ख) (डो) के अंतर्गत एक माह के वेतन के समतुल्य धनराशि के अर्थ-दण्ड से दण्डित किये जाने की सूचना एवं पुनः शासन के पत्र संख्या-1853(1)छ-पु0-से0-1/2003, दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा श्री त्रिपाठी के विरुद्ध पारित उक्त दण्डादेश के दृष्टिगत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पूर्व में की गयी संस्तुति को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव तथा अन्य अद्यतन तथ्यों/अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त चयन समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 14 मार्च, 2024 में श्री अभितोष त्रिपाठी को प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। तदनुसार पूर्व में की गयी इनकी संस्तुति निरस्त की जाती है।

प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो, तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। चयन समिति की उक्त संस्तुति आयोग द्वारा अनुमोदित है।

6— अतएव मा0 आयोग द्वारा की गयी उक्त संस्तुति के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-1524/छ:पु0-से0-1-2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा श्री अभितोष त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक नाग0 पु0 (ज्येष्ठता क्रमांक-100) को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गई प्रोन्नति आदेश को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

सं0 858(I)/छ:पु0से0-1-2024—चयन वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) में प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 09 अगस्त, 2023 को सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति मा0 आयोग पत्र संख्या-09(II)/04/पी/सेवा-1(2)/2023-2024 दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

2— चयन वर्ष 2022-2023 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में कार्यालय आदेश संख्या-1524/छ:पु0-से0-1-2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-10 रु0 56,100—1,77,500) में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन प्रोन्नत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

3— अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पत्र संख्या-डीजी-दो/ब-61ए-2022-2023, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-422/2019 धारा-409/411 भादवि व धारा-7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में थाना लिंक रोक जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत अभियोग न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम जनपद-गाजियाबाद में विचाराधीन होने की सूचना देते हुए पुलिस निरीक्षक नाग0पु0 श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान, पीएनओ-982514436 (ज्येष्ठता क्रमांक-22) को प्रान्तीय पुलिस सेवा के पदोन्नति कोटे में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान में प्रोन्नत आदेश को तात्कालिक प्रभाव से निर्गमन की तिथि दिनांक 28 अगस्त, 2023 से संशोधित/रि कॉल/निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी। उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1649/छ:पु0से0-1-2023, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी की संस्तुति को निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से किया गया।

4— उपसचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-09(viii)/04/पी/सेवा-1(2)/2023-24/टीसी दिनांक 03 अप्रैल, 2024 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में दिनांक 27 मार्च, 2024 को विभागीय चयन समिति की पुर्नविचार बैठक आहूत की गयी। उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में दिनांक 27 मार्च, 2024 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की पुर्नविचार बैठक में श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान की पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गयी संस्तुति को निरस्त किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है—

क्र० सं०	नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	अभ्युक्ति/चयन समिति की संस्तुति
1	2	3	4
1	लिफाफा बन्द, पद आरक्षित	22	शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन सूचना/अभिलेखों के आधार पर चयन वर्ष 2022-2023 हेतु की गयी प्रोन्नति की संस्तुति निरस्त की जाती है तथा पुनः शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अद्यतन सूचना/अभिलेखों के आधार पर चयन समिति ने विचारोपरांत लिफाफा बंद, पद आरक्षित किया जाता है।

प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो, तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। चयन समिति की उक्त संस्तुति आयोग द्वारा अनुमोदित है।

6- अतएव मा० आयोग द्वारा की गयी उक्त संस्तुति के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या-1524/छ:पु०-से०-1-2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक नाग० पु० (ज्येष्ठता क्रमांक-22) को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर की गई प्रोन्नति आदेश को निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

13 जून, 2024 ई०

सं० 1097/छ:पु०से०-1-2024-याची पुलिस निरीक्षक नाग०पु० श्री अनिल कपरवान द्वारा पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका 15655/2023 अनिल कपरवान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य योजित की गयी है। उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का प्रभावी अंश निम्नवत है-

1- Certified copy of the ordersheet of the Criminal revision proceeding of the Sessions Court, Ghaziabad, placed today, is taken on record.

2- Heard learned counsel for the parties.

3- Petitioner who has been considered for the promotion on the post of Deputy Superintendent of Police from the post of Inspector which petitioner is currently holding, on 01.05.2020 could not be offered promotion as there was a Criminal case pending against him. The matter was placed in a sealed cover as per procedure prescribed for.

4- Learned counsel for the petitioner submits that earlier the petitioner had approached this Court by filing a writ petition being Writ A No.15089 of 2021 which was disposed of on 24.11.2021 with a direction to consider the claim of the petitioner in the light of Government Order dated 28.05.1997. In compliance of the said order, both, the matter was examined and was ultimately rejected on the ground that the criminal case was pending in the trial court and chargesheet had been filed. Thus the representation of the petitioner to open the sealed cover, came to be rejected.

5- Petitioner has now approached this Court with today's changed circumstances as in the criminal trial he moved an application for discharge and that application came to be allowed by the trial court by judgment and order dated 07.04.2023. Copy whereof has been brought on record as Annexure-8 to

the writ petition and so the matter has been recommended by the Superintendent of Police, Shamli under its letter dated 17.04.2021 written to the Additional Director General of Police (Administration), Uttar Pradesh D.G.P. Headquarters, Lucknow.

6- Learned Senior Advocate has submitted before the Court that though against the order of discharge, State has filed a revision before the Sessions Judge, Ghaziabad but in the said revision notices have only been issued and the order of discharge has not been stayed, and to this effect pleadings have also been raised in paragraph no. 33 of the writ petition.

7- In view of the above, this petition stands disposed of with direction to the respondents-competent authority to consider the petitioner's claim afresh in the light of the Government Order dated 28.05.1997

9- It is expected that as soon as the D.P.C. is constituted, the respondent-competent authority shall take immediate decision but in any case within the next sixty days' time of presentation of certified copy of this order.

2- मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के अनुक्रम मे अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पत्र दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 द्वारा याची पुलिस निरीक्षक नाग0पु0 श्री अनिल कपरवान का पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान ग्रेड पे-5,400/- में बन्द लिफाफे को खोले जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा मा0 आयोग से की गई।

3- उप सचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 07 मई, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गृह (पुलिस) विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं पुलिस निरीक्षक (प्रतिसार/कंपनी कमाण्डर) से पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा श्री अनिल कपरवान पुलिस निरीक्षक वरिष्ठता (क्रमांक-36) चयन वर्ष 2019-20 के लिए प्रोन्नति पर विचार किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा दी गयी सूचनानुसार तत्समय श्री अनिल कपरवान के विरुद्ध प्रचलित अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित होने के दृष्टिगत श्री अनिल कपरवान की प्रोन्नति के संबंध में की गयी संस्तुति मुहर बंद लिफाफे में पद आरक्षित करते हुए रखी गयी थी।

यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री अनिल कपरवान, पुलिस निरीक्षक के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के पत्र दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अनिल कपरवान के विरुद्ध प्रचलित अभियोजन की कार्यवाही में कृत अपराध से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 07 अप्रैल, 2023 द्वारा उन्मोचित किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि रिट याचिका संख्या-15655/2023 अनिल कपरवान बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 द्वारा समस्त प्रतिपक्षी/समक्ष प्राधिकारी को आदेश दिया गया है कि शासनादेश दिनांक 28 मई, 1997 के आलोक में याची की प्रोन्नति/दावे के संबंध में आदेश प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर निर्णय लेने के आदेश दिये गये हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 07 अप्रैल, 2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के आलोक में श्री अनिल कपरवान की बंद लिफाफे में रखी गयी संस्तुति को शासनादेश संख्या 13/21/89 का 1/1997, दिनांक 28 मई, 1997 के नियम 7 के अनुसार याची का बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें चयन समिति ने श्री अनिल कपरवान (योग्यता क्रमांक-36) चयन वर्ष 2019-2020 हेतु उपयुक्त पाया गया। तदनुसार उक्त कार्मिक को प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त संस्तुति पुनरीक्षण

याचिका संख्या-340/2023 राम अवतार शर्मा बनाम अनिल कपरवान में होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी। चयन समिति की उपर्युक्त संस्तुति आयोग द्वारा अनुमोदित है।

5— अतएव उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग द्वारा की गई उक्त संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2019 2020 हेतु श्री अनिल कपरवान, निरीक्षक नाग0पु0 (वरिष्ठता क्रमांक-36) को उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल 10 रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नत प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

आज्ञा से,
राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव।

02 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1011/छःपु0से0-1-2024—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या— डीजी-दो/ब-61/2022-23 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2023 में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर चयनित/संस्तुत निम्नलिखित 05 चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त/चरित्र सत्यापन/विभागीय सत्यापन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराकर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है—

क्रम सं0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	जन्मतिथि	पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6	7
(श्री/श्रीमती/सर्वश्री)–						
1.	01	107357	स्मृति राणा पुत्री श्री एस0पी0 राणा	15.08.1995	सत्येन्द्र पाल राणा 4370, बी 5 वसन्त कुंज नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली, 110070	सत्येन्द्र पाल राणा 4370, बी5 वसन्त कुंज नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली, 110070
2.	04	034304	अवनीश कुमार सिंह पुत्र श्री उमेश कुमार सिंह	22.07.1998	उमेश कुमार सिंह, बी- 129, सेक्टर 11, विजयनगर, गाजियाबाद उ0प्र0 201009	उमेश कुमार सिंह, बी- 129, सेक्टर 11, विजयनगर, गाजियाबाद उ0प्र0 201009
3.	14	015796	शशांक श्रीवास्तव पुत्र श्री दिलीप श्रीवास्तव	06.11.1990	दिलीप श्रीवास्तव, जे- 222 नियर ओल्ड बाँबी किराना स्टोर आथ दुकान के पास दर्पण कालोनी ग्वालियर मध्य प्रदेश 474011	दिलीप श्रीवास्तव, 174/3 बिहाइण्ड गामा आटा चक्की ठाठीपुर बजरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश 474011

1	2	3	4	5	6	7
(श्री / श्रीमती / सर्वश्री)–						
4.	15	530585	गौरव उपाध्याय पुत्र श्री ब्रह्म प्रकाश उपाध्याय	23.07.1991	गौरव उपाध्याय, ई-29, पालिका मिलन नई दिल्ली 110021	गौरव उपाध्याय, ई-29, पालिका मिलन नई दिल्ली 110021
5.	28	427909	मुकेश सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह	20.05.1996	विश्वनाथ सिंह टापर पुरवा प्रतापपुर लखीमपुर खीरी उ0प्र0 261506	विश्वनाथ सिंह टापर पुरवा प्रतापपुर लखीमपुर खीरी उ0प्र0 261506

2— उल्लेखनीय है कि अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तर प्रदेश, के पत्र संख्या-डीजी-दो/ब-61/2022-23 दिनांक 12 मार्च, 2024 द्वारा उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-4/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में उक्त 05 अभ्यर्थियों के औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। तदक्रम में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-644/छ:पु0से0-1-2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा उक्त प्रस्तर-2 में अंकित 05 अभ्यर्थियों को पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400/- (7-वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100—1,77,500) में अन्य शर्तों के साथ निम्न शर्त के अधीन औपबन्धिक नियुक्ति -पत्र निर्गत किया गया—

“उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने स्वः सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।”

3— अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के उक्त पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रस्तर 1 में उल्लिखित 05 अभ्यर्थियों के चरित्र/पूर्ववृत्त सत्यापन/विभागीय सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य अंकित नहीं है, की सूचना प्राप्त हुई है।

4— अतः सम्यक विचारोपरान्त शासन के उक्त आदेश दिनांक 14 मार्च, 2024 के प्रस्तर 3, 4, 5 एवं 6 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रखते हुए उक्त 05 अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से नियुक्त की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए औपबन्धन समाप्त किया जाता है।

आज्ञा से,
ए0वी0 राजामौलि,
सचिव।

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

22 जुलाई, 2024 ई0

सं0 996/छ:पु0से0-2/2024—भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश, संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष-2025 में अधिवर्षता पूर्ण कर विभिन्न तिथियों को सेवानिवृत्त होंगे—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
1.	श्री शशिकान्त	आईपीएस-एसपीएस-0	02.01.1965	31 जनवरी, 2025
2.	श्री राम अभिलाष त्रिपाठी,	आईपीएस-एसपीएस-2013	03.01.1965	31 जनवरी, 2025
3.	श्री अविनाश चन्द्र	आईपीएस-आरआर-1990	07.01.1965	31 जनवरी, 2025
4.	डॉ0 धर्म वीर सिंह	आईपीएस-एसपीएस-0	08.01.1965	31 जनवरी, 2025
5.	श्री लाल साहब यादव	आईपीएस-एसपीएस-0	10.01.1965	31 जनवरी, 2025
6.	श्री भजनी राम मीणा	आईपीएस-आरआर-1997	12.01.1965	31 जनवरी, 2025
7.	डॉ0 भीम प्रिय अशोक	आईपीएस-एसपीएस-0	31.01.1965	31 जनवरी, 2025
8.	श्री अजय कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008	05.02.1965	28 फरवरी, 2025
9.	श्री संजय सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2010	12.02.1965	28 फरवरी, 2025
10.	श्री शैलेश कुमार यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	28.02.1965	28 फरवरी, 2025
11.	डॉ0 राकेश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2003	07.04.1965	30 अप्रैल, 2025
12.	श्री अजय आनंद	आईपीएस-आरआर-1992	13.04.1965	30 अप्रैल, 2025
13.	श्री राधेश्याम	आईपीएस-एसपीएस-2010	14.04.1965	30 अप्रैल, 2025
14.	श्री योगेश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2007	24.04.1965	30 अप्रैल, 2025
15.	डॉ0 संजय एम0 तरडे	आईपीएस-आरआर-1990	06.05.1965	31 मई, 2025
16.	डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी	आईपीएस-एसपीएस-2011	12.05.1965	31 मई, 2025
17.	सुश्री किरत यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	15.05.1965	31 मई, 2025
18.	श्री प्रशान्त कुमार-I	आईपीएस-आरआर-1990	16.05.1965	31 मई, 2025
19.	श्री पी0वी0 रामाशास्त्री	आईपीएस-आरआर-1989	18.05.1965	31 मई, 2025
20.	श्री तेज स्वरूप सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2011	22.05.1965	31 मई, 2025
21.	श्री भारती सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2007	29.05.19.65	31 मई, 2025
22.	श्री आदित्य प्रकाश वर्मा	आईपीएस-एसपीएस-2013	21.06.1965	30 जून, 2025
23.	श्री आदित्य मिश्रा	आईपीएस-आरआर-1989	30.06.1965	30 जून, 2025
24.	श्री विपिन कुमार मिश्रा	आईपीएस-एसपीएस-2007	01.07.1965	30 जून, 2025
25.	श्री राहुल राज	आईपीएस-एसपीएस-2010	01.07.1965	30 जून, 2025
26.	श्री विजय कुमार मौर्या	आईपीएस-आरआर-1990	10.07.1965	31 जुलाई, 2025

1	2	3	4	5
	सर्वश्री—			
27.	डॉ0 एन0 रविन्दर	आईपीएस-आरआर-1996	06.08.1965	31 अगस्त, 2025
28.	श्री हृदेश कुमार	आईपीएस-एसपीएस-2011	25.08.1965	31 अगस्त, 2025
29.	डॉ0 जी0 के0 गोस्वामी	आईपीएस-आरआर-1997	06.09.1965	30 सितम्बर, 2025
30.	श्री कुलदीप नारायण	आईपीएस-एसपीएस-2010	08.09.1965	30 सितम्बर, 2025
31.	श्री कमला प्रसाद यादव	आईपीएस-एसपीएस-0	08.09.1965	30 सितम्बर, 2025
32.	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-0	22.09.1965	30 सितम्बर, 2025
33.	श्री रामजी सिंह यादव	आईपीएस-एसपीएस-2010	01.10.1965	30 सितम्बर, 2025
34.	श्री अभय कुमार प्रसाद	आईपीएस-आरआर-1991	01.11.1965	31 अक्टूबर, 2025
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार राय	आईपीएस-एसपीएस-0	01.11.1965	31 अक्टूबर, 2025
36.	श्रीमती तिलोत्त्ता वर्मा	आईपीएस-आरआर-1990	02.11.1965	30 नवम्बर, 2025
37.	श्री शिवजी	आईपीएस-एसपीएस-0	14.11.1965	30 नवम्बर, 2025
38.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	आईपीएस-एसपीएस-2011	19.11.1965	30 नवम्बर, 2025
39.	श्री दलजीत एस चौधरी	आईपीएस-आरआर-1990	23.11.1965	30 नवम्बर, 2025
40.	श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2013	26.11.1965	30 नवम्बर, 2025

आज्ञा से,
मनोज कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव।

पदोन्नति/विज्ञप्ति
24 जुलाई, 2024 ई0

सं0 983/छ:पु0से0-2-2024—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0, संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारी को दिनांक 01 अगस्त, 2024 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0 2,05,400—2,24,400) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
1	श्री प्रेम चन्द मीना	आईपीएस-आरआर-1991

2— उपर्युक्त अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
26 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1619/छ:पु0से0-1-2024—उत्तर प्रदेश, प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक (ज्येष्ठ वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे 6,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-11 रु0 67,700—2,08,700) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 23 जुलाई, 2024 में सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रुपया 15,600—39,100 ग्रेड पे-7,600) पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12 (रु0 78,800—2,09,200) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)–	
1.	नितिन कुमार सिंह	433
2.	सुनील कुमार सिंह	438
3	पंकज कुमार सिंह	439 (मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन)
4.	सुशील कुमार सिंह	442
5.	लाल प्रताप सिंह	443
6.	श्वेताभ पाण्डेय	444
7.	आलोक मिश्र	445
8.	मो0 अकमल खाँ	446
9.	अतुल कुमार चौबे	448
10.	राजेश कुमार सिंह	449
11.	संजीव कुमार सिन्हा	450
12.	सुमित शुक्ला	451
13	डॉ0 राजेश तिवारी	452
14.	अंशुमान मिश्रा	455
15.	प्रमोद कुमार सिंह यादव	456
16.	अब्दुल कादिर	457
17.	डा0 अनूप सिंह	458
18.	अरविन्द कुमार वर्मा	460
19.	वन्दना सिंह	461

1	2	3
	(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)–	
20.	राजेश कुमार यादव	462
21.	डा० अर्चना सिंह	463
22.	राजकुमार सिंह	464
23.	मनोज कुमार गुप्ता	466
24.	अर्चना सिंह	467
25.	पूनम सिनोही	468
26.	अतुल कुमार यादव	469
27.	सुधीर कुमार	471
28.	हिमांशु गौरव	472
29.	प्रभात कुमार	473
30.	नरेश कुमार	474
31.	विजय आनन्द	475
32.	सुशील प्रसाद गंगा प्रसाद	476
33.	रवि शंकर प्रसाद	478
34.	अरुण कुमार सिंह	480
35.	महेश कुमार	482
36.	रुक्मणि वर्मा	483
37.	ममता कुरील	484

2— उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियाँ जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डॉ० संजीव गुप्ता,
सचिव।

09 अगस्त, 2024 ई०

सं० 1514/छ:पु०से०-1-2024—अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के पत्र संख्या-डीजी-दो-ब-61ए-2022-23/(73) दिनांक 01 जनवरी, 2024 द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक नाग०पु० पीएनओ-962410288 को पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान (प्रोन्नति कोटा) ग्रेड पे रु० 5,400/- के पद पर प्रोन्नत किये

के संबंध में प्रपत्र-3 व 4 की प्रति उपलब्ध कराते हुए परीक्षणोपरांत विचार कर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रस्ताव पर शासन के पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2024 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन के पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2024 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक नाग0पु0 के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच/विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है।

2— उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-937/छ:पु0से0-1-2024 दिनांक 07 जून, 2024 द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक, नाग0पु0पीएनओ-962410288 को पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान (प्रोन्नति कोटा) ग्रेड पे-5,400/- के पद पर प्रोन्नति किये जाने के संबंध में परीक्षणोपरांत विचार कर उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के निर्णय से अवगत कराने अपेक्षा की गयी।

3— उप सचिव, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-9(X)/04/पी/सेवा-1(2)/2023-24 दिनांक 03 जुलाई, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि चयन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2023 को श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठता क्रमांक-80 चयन वर्ष 2022-23 की बन्द लिफाफे में रखी संस्तुति को खोलने के सम्बन्ध में निम्नवत संस्तुति की गयी—

उ0प्र0 सरकार के गृह (पुलिस) विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं पुलिस निरीक्षक (प्रतिसार/कम्पनी कमाण्डर) से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठता क्रमांक 80 के सम्बन्ध में चयन समिति की बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2023 को पदोन्नतियों की प्रदेयता सुनिश्चित करते समय समिति द्वारा चयन वर्ष 2022-23 हेतु श्री अवधेश कुमार पाण्डेय ज्येष्ठता क्रमांक 80 की संगत वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य सेवाभिलेखों के सम्यक अनुशीलनोपरान्त उन्हें प्रश्नगत पद पर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया।

चयन समिति की उपर्युक्त संस्तुति आयोग द्वारा अनुमोदित है।

4— उ0प्र0, लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त संस्तुति के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की गयी है कि मा0 आयोग द्वारा उपर्युक्त संस्तुत कार्मिक का प्रोन्नति आदेश जारी कर उसकी एक प्रति आयोग के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5— अतएव उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग द्वारा की गई उक्त संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2022-23 हेतु श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, निरीक्षक नागरिक पुलिस (ज्येष्ठता क्रमांक-80) को उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

28 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1616/छ:-पु0से0-1-2024—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2023 के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक पद पर संस्तुत/चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, पुलिस सेवा-संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के साधारण वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100—1,77,500) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0 सं0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	जन्मतिथि	पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6	7
1	29	524074	श्री सनी पाण्डेय पुत्र श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय	07.07.1996	सुभाष चन्द्र पाण्डेय, लंगरीजोत, गिद्धोर, घुमडी, बलरामपुर उ0प्र0 271609	सुभाष चन्द्र पाण्डेय, लंगरीजोत, गिद्धोर, घुमडी, बलरामपुर उ0प्र0 271609

2— प्रस्तर-1 में अंकित उपर्युक्त अभ्यर्थी को डॉ० भीमराव आम्बेडकर, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त अभ्यर्थी को डॉ० भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

3— प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में उक्त चयनित अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा तैयार की गई श्रेष्ठता सूची के आधार पर यथासमय किया जायेगा।

4— उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि भविष्य में भी कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5— उक्त नियुक्त अभ्यर्थी से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन ऑफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 मई, 2026 ई० (वैशाख 12, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी, बहराइच

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

25 मार्च, 2026 ई०

सं० 1074/वि०भू०अ०अ०/बहराइच-जनपद बहराइच में लखनऊ-बहराइच मार्ग से बहराइच-गोण्डा मार्ग बहराइच बाईपास निर्माण हेतु तहसील महसी के ग्राम टेडवा बसन्तपुर व तहसील बहराइच ग्राम-सेहरिया, गौरिया, बैकुन्टा, मसीहाबाद, पिपरिया महिपाल, खलीलपुर, गोकुलपुर के कुल रकबा-26.7989 हे० भूमि की आवश्यकता है। भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-743/वि०भू०अ०अ०-बहराइच दिनांक 19 जनवरी, 2026 को निर्गत की गयी थी जिसका "दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला" के 19 जनवरी, 2026 व हिन्दुस्तान के 21 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित कराया गया है। अंतिम रूप से राजकीय गजट उ०प्र० में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 07 फरवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर बहराइच को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा(2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ बहराइच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2026 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची-क में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु

आवश्यक है तथा अनुसूची-ख में उल्लिखित तहसील-महसी के ग्राम-टेडवा बसन्तपुर व तहसील-बहराइच, ग्राम-सेहरिया, गौरिया, बैकुन्ठा, मसीहाबाद, पिपरिया महिपाल, खलीलपुर, गोकुलपुर जनपद-बहराइच में स्थित शून्य हे० है। प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत कोई परिवार विस्थापित नहीं है—

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	महसी	फखरपुर	टेडवा बसन्तपुर	272	0.0234
				277	0.0912
				274	0.5219
				279	0.2890
				282	0.1011
				757	0.5743
				278	1.3021
				505	0.0891
				502	0.0524
				507	0.0004
				508	0.0282
				504	0.0271
				513	0.0449
				514	0.0297
				759	0.0011
				760	0.1329
				761	0.0467
				824	0.1359
				819	0.1148
				812	0.0206
				813	0.0018
				811	0.1088
				800	0.0624

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	महसी	फखरपुर	टेडवा बसन्तपुर	799	0.0368
				798	0.0175
				818	0.0781
				273	0.0065
				808	0.0713
				809	0.0811
				810	0.0978
				योग.	4.1889
„	बहराइच	हिसामपुर	पिपरिया महिपाल सिंह	922	0.0950
				927	0.0042
				926	0.0438
				677	0.2447
				678	0.1249
				679	0.0711
				676	0.1437
				1094	0.1691
				1100	0.0283
				1093	0.0293
				1091	0.3754
				1120	0.0597
				1106	0.0090
				1101	0.0356
				1112	0.1045
				1108	0.0089
				1109	0.0759
				1107	0.0622
				641	0.1608
				639	0.1015

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	पिपरिया महिपाल सिंह	663	0.0940
				660	0.0329
				661	0.1662
				644	0.0194
				562	0.2444
				322	0.1083
				606	0.0548
				645	0.1564
				318	0.0009
				321	0.1616
				319	0.1593
				607/1594	0.0392
				607	0.0938
				609	0.0008
				604	0.1374
				603	0.1455
				598	0.1546
				601	0.1009
				597	0.0137
				1235	0.0836
				1236	0.0408
				1237	0.0302
				1238	0.0236
				595	0.0264
				594	0.1086
				592	0.1368
				591	0.0012
				590	0.1511

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	पिपरिया महिपाल सिंह	585	0.0471
				587	0.0469
				586	0.0495
				588	0.0985
				552	0.0674
				560	0.0215
				566	0.0620
				920	0.0331
				921	0.0615
				1114	0.0494
				1118	0.0514
				1119	0.0506
				608	0.0453
				565	0.0089
				1113	0.0200
				928	0.0742
				889	0.1068
				923	0.0059
				01(River)	0.0655
				890	0.1210
				709	0.4490
				925	0.2136
				680	0.0075
				564	0.0020
				563	0.0030
				योग.	6.1956
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गौरिया	128	0.0139
				90	0.0170

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गौरिया	129	0.1194
				111	0.2165
				126	0.0104
				113	0.0346
				116	0.0913
				127	0.1534
				115	0.0098
				112	0.0486
				105	0.0205
				103	0.0976
				61	0.1391
				73/877	0.0083
				75	0.0041
				62	0.3285
				81	0.1772
				73	0.3589
				70	0.0602
				71	0.0031
				79	0.0529
				80	0.1069
				256	0.0103
				261	0.0948
				264	0.0443
				463	0.0181
				252	0.5356
				253	0.0910
				466	0.0595
				467	0.9300

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गौरिया	468	0.2525
				469	0.0690
				470	0.0011
				770	0.0822
				769	0.0917
				768	0.1053
				762	0.3530
				772	0.0734
				797	0.0285
				795	0.1572
				806	0.0079
				808	0.1503
				804	0.7243
				801	0.1186
				800	0.2563
				104	0.0177
				251	0.0158
				487	0.0345
				योग.	6.3951
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	सेहरिया	51	0.0776
				39	0.1354
				41	0.0733
				42	0.0326
				38	0.0594
				25	0.0120
				8	0.1712
				11	0.0018
				12	0.1177

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	सेहरिया	22	0.0001
				28	0.0994
				20	0.1077
				29	0.0062
				13	0.0165
				36	0.0007
				14	0.0267
				15	0.0316
				16	0.0125
				17	0.0197
				19	0.0076
				18	0.0193
				27	0.0560
				योग.	1.0850
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	बैकुन्ठा	36	0.1126
				46	0.3917
				47	0.0199
				158	0.1922
				152	0.1277
				149	0.2689
				145	0.0854
				119	0.1334
				127	0.1222
				128	0.0141
				129	0.0552
				130	0.0788
				155	0.1905
				148	0.0162
				योग.	1.8088

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गोकुलपुर	467	0.0297
				494	0.1215
				496	0.1560
				495	0.1765
				416	0.0200
				425	0.5494
				382	0.2996
				390	0.0977
				386	0.0646
				385	0.0626
				384	0.0609
				383	0.0985
				108	0.1465
				109	0.1125
				111	0.0156
				110	0.0210
				122	0.0370
				121	0.0518
				120	0.0315
				119	0.1106
				126	0.0103
				129	0.2175
				137	0.0044
				143	0.0067
				221	0.0037
				159	0.0160
				216	0.2266
				184	0.1532

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	हिसामपुर	गोकुलपुर	185	0.0100
				213	0.0194
				214	0.1661
				233	0.0031
				224	0.0008
				223	0.2003
				222	0.2230
				228	0.0848
				142	0.1027
				138	0.0864
				141	0.0011
				152	0.1027
				132	0.3230
				215	0.1211
				422	0.0424
				421	0.0731
				423	0.0032
				योग.	4.4651
बहराइच	बहराइच	बहराइच	मसीहाबाद	1308	0.1739
				1303	0.0738
				1281	0.0001
				1282	0.0272
				1246	0.1310
				1248	0.0183
				1247	0.0331
				1249	0.0313
				1250	0.1074

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	बहराइच	मसीहाबाद	1251	0.0048
				1253	0.0010
				1168	0.0058
				1165	0.0542
				1234	0.1067
				1302	0.1094
				योग.	0.8780
बहराइच	बहराइच	बहराइच	खलीलपुर	886	0.0897
				490	0.1863
				489	0.0011
				475	0.3019
				413	0.0932
				411	0.0232
				412	0.0844
				410	0.0970
				409	0.0632
				408	0.0390
				393	0.0109
				344	0.0126
				341	0.0107
				348	0.0070
				352	0.0099
				351	0.1387
				349	0.0151
				350	0.0540
				353	0.0157
				346	0.0055
				340	0.0448

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	बहराइच	बहराइच	खलीलपुर	339	0.0527
				313	0.0502
				319	0.1223
				315	0.0286
				314	0.0200
				316	0.0670
				311	0.0093
				312	0.0125
				405	0.0062
				473	0.0874
				474	0.0133
				345	0.0090
				योग .	1.7824
				कुल योग .	26.7989

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

—शून्य—

नोट— उक्त भूमि का स्थल नक्शा बहराइच कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
बहराइच।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विज्ञप्ति

02 जनवरी, 2026 ई0

सं0 31/जी0-169/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना टाण्डा, जनपद-रामपुर के ग्राम-दर्शनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 32/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-फरीदपुर, जनपद-बरेली के ग्राम-मुकुन्द नगला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 33/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश,

एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती (सदर), परगना-महुली पश्चिम, जनपद-बस्ती के ग्राम-सूसीपार, तप्पा-कपरी महसो में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 34/जी0-352ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-घिरोर, परगना-बरनाहल जनपद-मैनपुरी के ग्राम-बलपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 35/जी0-175/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-पयागपुर, परगना-इकौना, जनपद-बहराइच के ग्राम-गांगूदेवर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 36/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश,

एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मझवार जनपद- चन्दौली के ग्राम-भोपतपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 37/जी0-152B/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-जयसिंहपुर, परगना-बरौसा, जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-भोजापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 38/जी0-361/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-हवेली, जनपद- जौनपुर के ग्राम-बेल्ला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 39/जी0-240/2001—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में

प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बेल्थरा रोड, परगना-सिकंदरपुर गर्वी, जनपद-बलिया के ग्राम-राजारामपट्टी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

शुद्धिपत्र

19 जनवरी, 2026 ई0

सं0 269/जी0-610/2016-17—निदेशालय के पत्र संख्या-6303/जी0-168/99-08 दिनांक 17 मई, 2008 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज, परगना अठेहा के ग्राम बूबूपुर कटरा को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4क(2) के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जिसमें त्रुटिवश ग्राम का नाम बूबूपुर कटरा अंकित हो गया है, जबकि ग्राम का शुद्ध नाम बूबूपुर है।

अतः चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 के अनुमोदन दिनांक 14 जनवरी, 2026 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-6303/जी0-168/99-08 दिनांक 17 मई, 2008 द्वारा विज्ञप्ति में जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम का नाम बूबूपुर कटरा के स्थान पर बूबूपुर पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

मधु सूदन दूबे,
संयुक्त संचालन चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

विज्ञप्ति

23 जनवरी, 2026 ई0

सं0 342/जी0-240/2001—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बेल्थरा रोड, परगना-

सं० 348/जी०-161/2023-24/धारा-52(1)-उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा० हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-धनघटा, परगना-महुली पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम-कोडरा, तप्पा-सिरसी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 349/जी0-159/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप-धारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-कुण्डा, परगना-बिहार, जनपद- प्रतापगढ़ के ग्राम-धीमी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 350/जी0-157/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-हरैया, परगना-नगर पश्चिम, जनपद-बस्ती के ग्राम-घटमापुर, तप्पा-नवाई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 351/जी0-49/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर

याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-मीरगंज, परगना-बरेली, जनपद-बरेली के ग्राम रहपुरा जागीर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 352/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तिता, जनपद- मीरजापुर के ग्राम-भटपुरवा, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 353/जी0-228/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-गोण्डा, जनपद-गोण्डा के ग्राम- सिसउरअन्दूपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 02 मई, 2026 ई० (वैशाख 12, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, ललितपुर

(पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन)

09 मार्च, 2026 ई०

सं० 3074/नजूल/2025-26-कृपया नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 (2) (ज) (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका की सीमान्तर्गत (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) संशोधित उपविधि तैयार की गयी है। उक्त उपविधि के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या पर मा० अध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 15 जून, 2024 द्वारा मा० बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव संख्या-650 दिनांक 22 जून, 2024 को रखी गयी, जिसको मा० बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त प्रस्तावित (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण और संचालन) संशोधित उपविधि को नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने हेतु "दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला व दैनिक जागरण" में दिनांक 17 अगस्त, 2024 को इस आशय से प्रकाशित किया था कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त उपविधि में वर्णित उपबन्धों के सम्बन्ध में 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। 15 दिवस के भीतर में 02 आपत्ति

प्राप्त हुयी, जिसका नियमानुसार परीक्षण करते हुये आपत्ति निराधार एवं बलहीन होने के कारण अधिशासी अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14 फरवरी, 2025 को निरस्त दी गयी। तदोपरान्त मा0 अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2025 के क्रम में मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव सं0- 1012 दिनांक 11 अप्रैल, 2025 को रखा गया जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया जो कि निम्नवत् है—

1— संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) यह नियमाली "उत्तर प्रदेश, नगर पालिका (पार्किंग स्थलों का निर्माण संधारण और संचालन) नियमावली 2016 कही

(2) नगर पालिका परिषद, ललितपुर की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषायें—

(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916" की धारा-298 (2) (ज) (ग) के अन्तर्गत से है।

(ख) "पार्किंग स्थल" का तात्पर्य ऐसे ही अधिकृत और चिन्हांकित भू-खण्ड या भवन या संरचना या स्थान से है, जहाँ वाहन खड़े किये जा सकते हो।

(ग) "वाहन" का तात्पर्य किसी पहियेदार गाड़ी से है जिसे सड़क पर प्रयुक्त किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत, साइकिल, बाइसिकिल, ट्राईसिकिल या उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21 सन् 1997 में यथा परिभाषित मोटर गाड़ी से है।

(घ) "शुल्क" का तात्पर्य वाहन की पार्किंग के निमित्त संगृहीत प्रभार से है।

(ङ) अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, ललितपुर से है।

(च) "संचालक" का तात्पर्य पार्किंग स्थल के रख-रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम स्तर द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अभिकरण से है।

(2)— इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हो।

3. प्रतिबन्ध— कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष पालिका परिषद ललितपुर द्वारा चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी सड़क, सड़क पटरी, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा और न करवा सकेगा।

4. पार्किंग स्थलों की व्यवस्था— विभिन्न स्थानों पर यथावश्यक पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण और विकास निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा।

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और आवश्यकतानुसार तलों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(ग) पार्किंग स्थलों के लिये, वैकल्पिक स्थानों यथा फ्लाईओवर के नीचे जहाँ समुचित हो, हरितपट्टिका के साथ पार्किंग की व्यवस्था, बाजारों, मेलों, खुले सार्वजनिक स्थानों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यों में न हा रहा हो, निर्धारित समयावधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(घ) व्यावसायिक और मिश्रित भू-प्रयोग के सम्बन्ध में पार्किंग मानकों की समीक्षा और समुचित गलियों में अधिकृत पार्किंग का प्राविधान करने पर विचार किया जा सकेगा।

(ड) सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थल सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने के प्राविधानों पर विचार किया जायेगा।

(छ) निजी क्षेत्र की भागीदारी किये जाने पर निजी क्षेत्र के प्रदाता को चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर, आधार-कार्ड व पैन-कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

(ज) जब कभी विनियमित क्षेत्र, विकासकर्ताओं या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनाई जाय अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जाये अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जाये तो समुचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(झ) लोक परिवहन के प्रमुख स्थलों पर 'पार्क एण्ड राइड' की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

(ञ) नगर पालिका द्वारा संचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का निजीकरण भी विचारणीय होगा।

(ट) नगरीय क्षेत्रों में मिश्रित भू-प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आवासीय क्षेत्रों में कार्य स्थलों का निर्माण और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और जिससे एक स्थल से दूसरे स्थल के लिए आवागमन के लिए वाहनों और पार्किंग स्थल की आवश्यकता को सीमित किया जा सके।

(ठ) नगर में रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, कॉलेजों, होटलों, कारखानों, अस्पतालों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावसिक भवनों और स्थानों के समीप सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर पालिका परिषद अनुज्ञा प्राप्त कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

(ड) शासन/नगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी होने वाले शासनादेश/आदेश का अनुपालन निजी दाता को करना होगा।

5- पार्किंग स्थलों का संचालन-

(1) नगर पालिका परिषद द्वारा विकसित पार्किंग स्थलों का समुचित अनुरक्षण अध्यक्ष/अधि0अधि0 अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थलों का अनुरक्षण, संचालन प्रबन्धन, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार की वसूली कराने हेतु निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति अध्यक्ष/अधि0 अधि0 के लिए विधि सम्मत होगी-

(एक) निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुबन्ध द्वारा।

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा।

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

(चार) स्थानीय निकाय के निजी श्रोतों द्वारा।

(पाँच) अन्य रीति जैसा कि नगर पालिका परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(छः) निजी क्षेत्र की भागीदारी में पालिका द्वारा निर्धारित दर पर ही वसूली करेगा।

(4) पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क वसूली करने वाला व्यक्ति नगर पालिका ललितपुर से सत्यापित रसीद बुक से रसीद जारी करेगा, रसीद पर धनराशि व हस्ताक्षर को स्पष्ट अंकित करेगा।

(5) निजी क्षेत्र में वाहन गुम हो जाने पर जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(6) अन्य विस्तृत निबन्धन और शर्तों प्रतिबन्धों सूचनाओं प्रतिभूतियों प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित निर्देशों का निर्धारण नगर पालिका द्वारा किया जा सकेगा।

6. सीमा का अभ्यंकन—

- (1) प्रत्येक पार्किंग स्थल की सीमा का अभ्यंकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह अंकित किये जायेंगे।
 (2) उपनियम (1) में नियत सीमा से बाहर पार्किंग का प्रयोग दण्डनीय होगा।

7. पार्किंग शुल्क की दरें—

(1) पार्किंग प्रभार की दरें प्रपत्र-2 में पार्किंग स्थल पर किसी सुस्पष्ट स्थान पर न्यूनतम 1 मीटर × .75 मीटर का पट लगाकर सम्प्रदर्शित की जायेगी—

(2)

क्र० सं०	वाहन का नाम	पुरानी दरें	संशोधित पार्किंग शुल्क की दरें (प्रतिदिन)	पार्किंग स्थल
1	2	3	4	5
		रुपये—	रुपये—	
1.	बस	15.00 प्रति बस	50.00 प्रति बस / प्रति चक्कर	बस स्टैण्ड
2.	स्लीपर बस	15.00 प्रति बस	75.00 प्रति बस / प्रति चक्कर	बस स्टैण्ड
3.	टैक्सी, टैम्पो थ्रीसीटर (सवारी गाड़ी)	03.00 प्रति वाहन	15.00 प्रति वाहन	चन्द्रशेखर पार्क के सामने, मवेशी बाजार, एलआईओ ऑफिस के सामने, नवीन गल्ला मंडी, नया बस स्टैण्ड, राजघाट रोड एवं आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थल आदि।
4.	लोडिंग टैम्पो व पिकअप	08.00 प्रति वाहन	30.00 प्रति वाहन	चन्द्रशेखर पार्क के सामने, मवेशी बाजार, एलआईओ ऑफिस के सामने, नवीन गल्ला मंडी, नया बस स्टैण्ड, राजघाट रोड एवं आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थल आदि।
5.	ट्रैक्टर कृषि कार्य को छोड़कर	10.00 प्रति वाहन	30.00 प्रति वाहन	आवश्यकतानुसार नगर पालिका सीमा अन्तर्गत स्थित चिन्हित स्थल के लिये।
6.	ट्रक, ट्राला	15.00 प्रति वाहन	100.00 प्रति वाहन	आवश्यकतानुसार नगर पालिका सीमा अन्तर्गत स्थित चिन्हित स्थल के लिये।
7.	साईकिल	—	05.00 प्रति साईकिल	आवश्यकतानुसार नगर पालिका सीमा अन्तर्गत स्थित चिन्हित स्थल के लिये।
8.	टू-व्हीलर स्कूटर / मोटर साईकिल	—	10.00 प्रति वाहन	आवश्यकतानुसार नगर पालिका सीमा अन्तर्गत स्थित चिन्हित स्थल के लिये
9.	फोर-व्हीलर, निजी कार	—	25.00 प्रति वाहन	आवश्यकतानुसार नगर पालिका सीमा अन्तर्गत स्थित चिन्हित स्थल के लिये।

(3)– धर्मार्थ घोष चालक कार्य हेतु प्रयोग किये वाहन, सरकारी गाड़ी एम्बुलेन्स इस शुल्क से कर मुक्त होंगे।

8— पार्किंग स्थलों की अनुज्ञा प्रदान करना—

(1)– अध्यक्ष/अधि० अधि० या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन नगर पालिका सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्धन, संचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली की मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) अनुज्ञा शुल्क और अन्य प्रभार ऐसी दरों पर जैसा कि नगर पालिका द्वारा नियत किये जायेंगे वसूल किये जायेंगे।

(3) अनुज्ञा केवल उस अवधि के लिये वैध होगी, जिस अवधि के लिये प्रदान की गई हो।

(4) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञापी वहाँ पर किसी भी प्रकार से पार्किंग का संचालन नहीं करेगा।

(6) पार्किंग स्थल पर वाहन पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेंगे ताकि अन्य वाहन को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो सके।

(7) लोक हित में, अध्यक्ष/अधि०अधि० को यह अधिकार होगा कि यह अनुज्ञा-पत्र निलम्बित या निरस्त कर दें।

(8) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्धन अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

(9) अनुज्ञापी का यह दायित्व होगा कि पार्किंग स्थल के परिसर की सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(10) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार टूट फूट या क्षति की प्रतिपूर्ति संचालन से की जायेगी।

9— पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति— यदि कोई व्यक्ति, संस्था, एजेंसी, पार्टनर, ठेकेदार या संचालन इस नियमावली के प्राविधनों का उल्लंघन कर पार्किंग कार्य को संचालित करता है, तो अध्यक्ष/अधि०अधि० या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उसे हटवा सकता है अथवा पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

10— पार्किंग हेतु निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा— राज्य सरकार या अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी नगर पालिका किसी क्षेत्र या वार्ड में पार्किंग स्थलों के निर्माण, विकास अथवा संचालन के लियं निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

11— अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन—

(1) उपरोक्त उपविधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1)के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, जिस पर रु० 1,000.00 जुर्माना हो सकता है और जब ऐसा निरन्तर जारी किया जाये तो जुर्माना प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात 25.00 रु० प्रतिदिन हो सकता है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अध्यक्ष/अधि०अधि०/नोमित अधिकारी द्वारा जुर्माना किया जा सकता है। यह उपविधि नगर पालिका परिषद, ललितपुर की सीमाक्षेत्र में गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, जनपद-ललितपुर

प्रपत्र-1

[नियम 5 (3) देखिये]

पार्किंग स्थल के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

(अवधि से तक)

1. पार्किंग स्थल का नाम
2. आवेदक का नाम
3. पिता का नाम
4. पैनकार्ड का नम्बर
5. मोबाइल नम्बर
6. पता
7. अधिकतम धनराशि अंको/शब्दों में
8. संलग्न बैंक ड्राफ्ट संख्या/बैंक का नाम/नगद धनराशि का विवरण.....
9. आवेदन शुल्क

आवेदन की
सत्यापित
रंगीन
फोटोग्राफ

वचनबद्धता

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1) मैंने चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न किया है।
- (2) मैंने विषय से सम्बन्धित नियमों और शर्तों, सुसंगत नियमों और विनियमों की जानकारी प्राप्त कर ली है।
- (3) मुझे प्राधिकारियों द्वारा चिह्नित उपरोक्त पार्किंग स्थल की सीमा का पूर्ण ज्ञान है।
- (4) मैं, प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी सभी नियमों, शर्तों, निर्देशों और आदेशों का पालन करूँगा।
- (5) मैं, किराये या उप अनुबन्ध या अन्य प्रकार सहित किसी भी रीति, जो भी हो, पार्किंग स्थल का संचालन और अनुरक्षण किसी व्यक्ति या ठेकेदार या अभिकरण या संचालक को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक—

प्रपत्र-2

नियम 7(3) देखिये)

1. नगर पालिका का नाम
2. पार्किंग स्थल का नाम
3. संचालक का नाम
4. मोबाइल का नम्बर
5. पार्किंग शुल्क कर दरें

- (1) कार एवं अन्य चार पहिया/बड़े वाहन
- (2) श्रीव्हीलरान
- (3) स्कूटर/मोटर साइकिल
- (4) साइकिल

सरला जैन,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
ललितपुर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् गुलावठी, बुलन्दशहर

नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर हेतु ई-रिक्शा नियंत्रण एवं विनियमन की उपविधि-2025

18 अक्टूबर, 2025 ई0

सं0 762/न0पा0परि0गु0-ई-निविदा/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-293 तथा उसके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर हेतु ई-रिक्शा नियंत्रण एवं विनियम की उपविधि को पालिका मा0 बोर्ड के प्रस्ताव सं0 08 दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका प्रकाशन पत्र सं0—206, दिनांक 15 मई, 2025 के माध्यम से हिन्दुस्तान समाचार पत्र एवं दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने हेतु कराया गया था। प्रकाशन की तिथि से 35 दिवस के अन्दर सर्वसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये। समयान्तर्गत कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने पर उपविधि को पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 में रखा गया जिसे पालिका बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस उपविधि के अंतिम रूप को अनुमोदन हेतु नियमानुसार निम्न रूप से तैयार किया गया है। इस उपविधि को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301(1) के प्रयोजनार्थ अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाता है।

1— **संक्षिप्त नाम**— यह उपनियमावली गुलावठी नगर पालिका परिषद् ई-रिक्शा नियंत्रण उपनियमावली 2025 कहलायेगी।

2— **परिभाषा**—

1— यह उपविधि नगर पालिका परिषद् गुलावठी की सीमान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शा नियंत्रण करने एवं शुल्क वसूली उपविधि कहलायेगी।

2— “नगर पालिका परिषद्” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर से है।

3— “बोर्ड” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी बोर्ड से है।

4— “अधिसासी अधिकारी” का तात्पर्य अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर से है।

5— “सक्षम अधिकारी” का तात्पर्य अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर से है।

6— “अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

7— “ई-रिक्शा नियंत्रण पंजीकरण शुल्क” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर की सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा के द्वारा सवारी व सामान ठोने वाले ई-रिक्शाओं के नियंत्रण पंजीकरण शुल्क से है। यह नियमावली नगर पालिका परिषद् गुलावठी जनपद बुलन्दशहर की सीमा में ई-रिक्शाओं से सवारी उतारने व चढ़ाने तथा माल/सामान उतारने, चढ़ाने वाले ई-रिक्शा वाहनो को नगर पालिका परिषद् गुलावठी में नियंत्रण पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

8— ई-रिक्शा चालक का गुलावठी सीमा में चलने वाले ई-रिक्शाओं का मार्ग निर्धारण करने का अधिकार नगर पालिका परिषद् गुलावठी में निहित होगा। जिसके लिए ई-रिक्शा वाहन स्वामी को पंजीकरण के समय अपना मार्ग निर्धारण करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 03 विकल्प मार्ग नगर पालिका परिषद् गुलावठी में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने होंगे।

9— ई-रिक्शा स्वामी के पंजीकरण को स्वीकृत व निरस्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद् गुलावठी में निहित होगा।

10— ई-रिक्शा वाहन स्वामी अपने ई-रिक्शा में किसी भी आपत्ति जनक सामान का लदान नहीं करेगा और ना ही कोई आपत्ति जनक प्रदर्शन/विज्ञापन का प्रचार-प्रसार अपने ई-रिक्शा द्वारा करेगा।

11— ई-रिक्शा चालक ई-रिक्शा में पांच से अधिक सवारी नहीं बैठायेगा, पांच से अधिक सवारी बैठी पाये जाने पर ई-रिक्शा का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

12— ई-रिक्शा को सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वैध लाईसेंस धारक ही चला पायेगा तथा बिना लाईसेंस के ई-रिक्शा चलाते हुये पकड़े जाने पर ई-रिक्शा चालक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13— ई-रिक्शा चालक अपने ई-रिक्शा को निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलायेगा।

14— ई-रिक्शा का रूट नम्बर नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा आवंटित किया जायेगा, जिससे की शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो सके। ई-रिक्शा के बाहरी बनावट में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। चालक चौराहे से पहले या बाद में सवारी उतारेंगे। ई-रिक्शा वाहन चलाते समय चालक को यातायात के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15— ई-रिक्शा का पंजीकरण कराते समय ई-रिक्शा वाहन स्वामी को आवेदन पत्र के साथ अपना चालक अनुज्ञप्ति पत्र, आधार कार्ड, तथा ई-रिक्शा का सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व अपना एक पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ नगर पालिका परिषद् गुलावठी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16— ई-रिक्शा पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी नम्बर प्लेट लगानी अनिवार्य होगी।

17— ई-रिक्शा चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाईसेंस होना जरूरी होगा। ऐसा ना होने पर ई-रिक्शा जब्त कर लिया जायेगा। ई-रिक्शा 25 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलाया जायेगा।

18— ई-रिक्शा चालक को हर 02 वर्ष में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी नगर पालिका परिषद् गुलावठी में जमा करना अनिवार्य होगा। वही नाबालिक को ई-रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर ई-रिक्शा जब्त कर लिया जायेगा।

19— ई-रिक्शा में 650 से 1000 वॉट क्षमता वाला मोटर लगेगा, सवारी के अतिरिक्त 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

20— समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन ई-रिक्शा वाहन स्वामी व नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

21— नगर पालिका परिषद् गुलावठी द्वारा ई-रिक्शा वाहन संचालन हेतु रूट चार्ट निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

क्र० सं०	रूट नं०	मार्ग का विवरण	रजिस्ट्रेशन शुल्क	रजिस्ट्रेशन की वैधता
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1	01	बुलन्दशहर बस स्टैण्ड एमरोल्ड फार्म से शिवांग पेट्रोल पम्प हापुड़ रोड तक	500.00	01 अप्रैल से 31 मार्च तक (01 वर्ष)
2	02	सरकारी अस्पताल सिकन्द्राबाद रोड से सैदपुर रोड रेलवे फाटक तक	500.00	01 अप्रैल से 31 मार्च तक (01 वर्ष)
3	03	हनुमान मन्दिर धौलाना रोड से पुराना मंगल बाजार चौक होते हुये चौधरी हलवाई तक	500.00	01 अप्रैल से 31 मार्च तक (01 वर्ष)
4	04	टंकी स्टैण्ड से सर्राफा बाजार होते हुये सैनी धर्मशाला व नई मण्डी रोड गेट तक	500.00	01 अप्रैल से 31 मार्च तक (01 वर्ष)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये नगर पालिका परिषद् गुलावटी निश्चित करती है कि इस उपनियमावली के किसी भी खण्ड का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा और ऐसा अपराध प्रमाणित होने पर अपराधी पर अंकन रु० 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है। अपराध जारी रहने की दशा में ऐसा उल्लंघन अतिरिक्त अर्थदण्ड से देय होगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है अंकन रु० 50.00 (पचास रुपया) प्रतिदिन तक हो सकता है।

शैलेश तेवतिया,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद् गुलावटी,
जनपद बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर

टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूली हेतु उपनियमावली

22 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 466'क'/न०प०राजे०/टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूली उप नियमावली प्रकाशन/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका का एक्ट, 1916 की धारा 128(1) के खण्ड 13(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में नगर पंचायत की सीमान्तर्गत टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली हेतु निम्नलिखित उपविधि तैयार की गयी है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2025 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में "दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला" में दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

नियमावली

- 1— यह नियमावली नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर की सीमान्तर्गत टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली किये जाने से सम्बन्धित उपविधि कहलायेगी।
- 2— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर से है।
- 3— अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष से तात्पर्य अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर से है।
- 4— नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर सीमान्तर्गत चलने वाले समस्त सवारी वाहन को नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड स्थल पर ही खड़ा किया जायेगा।
- 5— कोई भी सवारी टैक्सी/वाहन सार्वजनिक रोड़ पर नहीं खड़ा किया जायेगा।
- 6— टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली हेतु ठेका 1 वर्ष की अवधि हेतु किया जायेगा, जो माह अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक माना जायेगा।
- 7— यदि निर्धारित अवधि में/समय से टैक्सी/बस स्टैण्ड का ठेका संपादित नहीं हो पाता है, तो ठेका संपादित हो जाने की अवधि तक टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली का कार्य नगर पंचायत अपने कर्मचारियों से अथवा उक्त कार्य हेतु नियुक्त अलग से कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- 8— ठेका प्राप्तकर्ता को निर्धारित रेट के अनुसार ही टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली की जायेगी।
- 9— सम्बन्धित ठेकेदार को सम्बन्धित वाहनों से वसूली की गयी धनराशि की रसीद वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को दी जायेगी, तथा रसीद की द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।
- 10— टैक्सी/बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/मुकदमा दायर होता है तो उसका समस्त खर्च ठेका प्राप्तकर्ता को वहन करना होगा।
- 11— ठेका प्राप्तकर्ता को टैक्सी/बस स्टैण्ड वसूली के पूर्व 100 रु0 मात्र का स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर से अनुबंध कराया जाना आवश्यक होगा।
- 12— सम्बन्धित ठेकेदार को ठेका/नीलामी की धनराशि के अनुसार नियमानुसार स्टाम्प देय होगा।
- 13— ठेका/नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा यदि अलग से व्यक्ति रखकर वसूली की कार्यवाही की जाती है तो सम्बन्धित वसूलीकर्ताओं की सूची फोटोसहित कार्यालय नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14— ठेकेदार द्वारा अथवा ठेकेदार द्वारा रखे गये वसूली कर्मचारियों के स्तर से यदि निर्धारित रेट के अतिरिक्त अधिक धनराशि वसूली जाती है तो, अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा, ठेकेदार को ऐसा न करने के लिए नोटिस जारी करें, नोटिस में दिये गये आदेशों की अवज्ञा किये जाने की दशा में अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष उक्त ठेका/नीलामी को बीच में ही निरस्त किये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं, अथवा टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली की कार्यवाही नगर पंचायत कर्मचारियों से करायी जा सकती है या पुनः स्टैण्ड की नीलामी की कार्यवाही संपादित करायी जा सकती है।
- 15— ठेका/नीलामी प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित विवरण के अनुसार वाहनों से दैनिक शुल्क वसूली की कार्यवाही निर्धारित रेट के अनुसार की जायेगी—

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	दैनिक वसूली का दर	अन्य
1	2	3	4
		प्रतिदिन—	
1.	बस या इसी प्रकार के अन्य वाहन	100/- प्रतिवाहन	
2.	मैजिक, जीप या इसी प्रकार के अन्य वाहन	60/- प्रतिवाहन	
3.	विक्रम बड़ा	50/- प्रतिवाहन	
4.	विक्रम छोटा	40/- प्रतिवाहन	
5.	CNG वाहन बड़ा	50/- प्रतिवाहन	
6.	CNG वाहन छोटा	40/- प्रतिवाहन	
7.	ई—रिक्शा	20/- प्रतिवाहन	
8.	अन्य वाहन जो उपर छूट गये हो	50/- प्रतिवाहन	

16— उक्त वाहनों से शुल्क वसूली की निर्धारित दर की धनराशि में समय-समय पर नगर पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर परिवर्तन किया जा सकता है।

वाहन स्वामियों द्वारा यदि निर्धारित दर से वसूली की धनराशि देने में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो ठेकेदारों की लिखित शिकायत पर नगर पंचायत को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो भी उचित हो कार्यवाही संपादित कराये।

17— ठेका/नीलामी के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन, प्रशासन अथवा नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर स्तर से निर्गत आदेशों का अनुपालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

18— परिस्थिति के अनुसार अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर उक्त बिन्दुओं को कठोर/शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जो समस्त ठेकेदारों/नीलामी प्राप्तकर्ता को मान्य होगा।

दण्ड

म्युनिस्पल्टीज, एक्ट 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी धारा के उलंघन करने पर अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो 1,000 रु० तक हो सकता है और ऐसा उलंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना का दण्ड दिया जायेगा, जो पहला दोष सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा हो तो 25 रु० प्रतिदिन तक हो सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर**गृहकर**

22 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 466'ख' / न0पं0राजे0 / गृहकर उपविधि / 2025-26—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-912/नौ-9-24ज/05टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन व भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 को अन्तिम रूप से प्रख्यापित कर दिया गया है यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होती है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर की भौगोलिक सीमाओं में स्थित आवासीय भवनों या भू-खण्डों पर सम्पत्ति कर आरोपण हेतु वार्ड की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, मार्ग की चौड़ाई जिस पर सम्पत्ति स्थित है, के कवर्ड एरिया की प्रति वर्ग फीट किराये की न्यूनतम मासिक किराया दर को आवासीय सम्पत्तियों के कर निर्धारण के निर्मित वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु कक्ष कर भवन के कारपेट एरिया (वास्तवित माप आधारित) अथवा कवर्ड एरिया का 80 प्रतिशत की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट) या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये प्रति ईकाई क्षेत्रफल न्यूनतम मासिक किराया क्षेत्रफल न्यूनतम मासिक किराया दर को बोर्ड बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2025 के प्रस्ताव संख्या 04(2) द्वारा अनुमोदन के उपरान्त जनमानस के अवलोकनार्थ एवं वार्डवार आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को प्रमुख "दैनिक समाचार-पत्र हिन्दूस्तान" एवं "दैनिक जागरण" में प्रकाशित कराया गया है, आपत्ति हेतु 15 दिवस का समय निश्चित किया गया है। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

वार्ड-वार मासिक किराया प्रतिवर्ग फुट दरों की सूचना निम्नवत है

भवन/भूमि की श्रेणी	0 से 09 मीटर चौड़े मार्ग पर		09 से 12 मीटर चौड़े मार्ग पर		12 से 24 मीटर चौड़े मार्ग पर		24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग तक	
	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0
	9,000.00	15,000.00	9,000.00	15,000.00	9,000.00	15,000.00	9,000.00	15,000.00
	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
कच्चा	0.12	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35
अन्य पक्का	0.25	0.35	0.35	0.45	0.45	0.65	0.65	0.80
पक्का	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.75	0.75	1.00
भूमि	0.10	0.12	0.12	0.15	0.15	0.20	0.20	0.35

शस्ति

म्युनिस्पल्टीज एक्ट, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर निर्देश देती है, कि उपरोक्त किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर

22 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 466'ग'/न0प0राजे0/2%स्टा0शु0उपविधि प्रकाशन/2025-26—नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, सीमान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर संगत अधिनियमों के अन्तर्गत निबन्धन के समय वसूली गयी 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि के सम्बन्ध में उपविधि का प्रकाशन—

विधि का प्रकाशन

यू0पी0 म्युनिस्पल्टीज एक्ट, 1916 की धारा-128 (1) के खण्ड 13 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर ने नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण लेखों पर कर लगाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को अपने प्रस्ताव संख्या 4(2) के क्रम में उप विधि तैयार कर संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग के शासनादेश संख्या क0नि0-5/391/11-2008-312(268)/2001 लखनऊ दिनांक 07 फरवरी, 08 के अनुपालन में निम्नलिखित उपविधि इस आशय से प्रकाशित की गयी थी। तत्क्रम में नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर द्वारा बोर्ड दिनांक 23 जनवरी, 2025 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में “दैनिक समाचार-पत्र हिन्दूस्तान” में दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

नियमावली

1— यह नियमावली नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर निबन्धन के समय वसूली गयी 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी।

2— नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/लेखा हस्तान्तरण क्रय, विक्रय, हिबानामा, तबादलानामा या दान आदि पर भारतीय स्टाम्प के अन्तर्गत उनसे सम्बन्धित प्रलेखों का पंजीकरण (निबन्धन) जो कोई भी करायेगा, उन सभी व्यक्ति/व्यक्तियों पर नियमावली लागू होगी।

3— इस कर के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों जिनका विवरण प्रस्तर-एक में दिया गया है सभी हस्तान्तरित हो जाने वाली अचल सम्पत्तियों के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी के अतिरिक्त 2 प्रतिशत (दो प्रतिशत) कर देय होगा, यह कर अचल सम्पत्तियों के विक्रय, हिबानामा, तबादलानामा, दान आदि के अवसर पर सम्बन्धित व्यक्ति/ व्यक्तियों, जो स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेंगे तथा अतिरिक्त ड्यूटी के रूप में देय होगा।

4— नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तान्तरण तब तक वैध नहीं माना जायेगा, जब तक कि उक्त अतिरिक्त ड्यूटी, जो इस नियमावली के द्वारा आरोपित है, की धनराशि अदा नहीं कर दी जाती है।

5— इस नियमावली के अन्तर्गत संगठित समस्त कर की धनराशि संग्रह चार्ज यदि कोई हो, काटकर नगर पंचायत के पक्ष में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

6— निबन्धक/सहायक निबन्धक, नगर पंचायत की सीमा के भीतर सम्पत्ति का पृथक दस्तावेज रखेंगे, जिसमें वह शुल्क व कर (अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी) लिखेंगे।

7— निबन्धक/सहायक निबन्धक इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-64, 65 व 89 के अधीन प्राप्त प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त कर इन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करेंगे राजस्व अधिकारी शुल्क व कर लेखा भी इसी प्रकार रखेंगे।

8— निबन्धक/सहायक निबन्धक प्रत्येक माह विवरण-पत्र जिसमें वह शुल्क व कर के रूप में अपने द्वारा वसूली गयी धनराशि निम्नलिखित प्रारूप में लिखेंगे तथा निम्न की सूचनार्थ भेजेंगे।

प्रारूप

मदों का नाम	लेखपत्रों की कुल संख्या	कुल उगाही गयी धनराशि	यू0पी0 म्युनिसिपल्टीज एक्ट के अन्तर्गत शासनादेश सं0-क0नि0-5 391/11-2008-312 (268)/2001 संस्थागत कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 07 फरवरी, 2008
1	2	3	4

1— निबन्धक महानिरीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।

2— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

3— अपर सचिव, राजस्व परिषद प्रयागराज।

4— अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर।

9— नगर पंचायत के पक्ष में उगाही गयी कर की धनराशि प्रत्येक माह के अन्त में उक्त शासनादेश दिनांक 2008 के अनुसार सहायक स्टाम्प आयुक्त/वरिष्ठ कोषाधिकारी अम्बेडकरनगर नगर पंचायत के पीएलए खाते में अन्तरण कर देंगे।

10— इस नियमावली के अधीन उगाही धनराशि के लेखों का निरीक्षण अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष, अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा निबन्धक/सहायक निबन्धक के कार्यालय से करा सकेंगे।

शस्ति

म्युनिसिपल्टीज एक्ट 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर निर्देश देती है, कि उपरोक्त किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर

22 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 466'घ' / न0प0राजे0 / उपविधि / लाइसेन्स / 2025-26—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294 एवं 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निम्नांकित लाइसेन्स उपविधि नियंत्रण एवं विनियमितीकरण उप नियमावली बनाती है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2025 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान किया गया है। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

लाइसेन्स उपनियमावली 2025

परिभाषा— किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

- 1— उपनियम से तात्पर्य नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर के अन्दर लाइसेन्स फीस उपनियम ये है।
- 2— सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर की क्षेत्राधिकार सीमा से है।
- 3— नगर पंचायत अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / अधिशाषी अधिकारी से है।
- 4— नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर बाजार सीमा के अन्दर जो भी दुकानदार या कोई भी अन्य व्यवसाय उद्योग चलायेगा या किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो लाइसेन्स शुल्क नियमावली के आता है। उसे निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5— अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के लाइसेन्स अधिकारी होंगे। जिनके द्वारा लाइसेन्स जारी किया जायेगा।
- 6— नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर बाजार की सीमा के अन्तर्गत कोई व्यवसायी बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कोई व्यवसाय करते या उद्योग चलाते पाया गया तो लाइसेन्स अधिकारी को दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7— लाइसेन्स अधिकारी अपने अधिनस्त किसी अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों को लाइसेन्स जारी करने हेतु अधिकृत कर सकता है।
- 8— लाइसेन्स की अवधि केवल एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक होगी अवधि समाप्त होने पर एक सप्ताह पूर्व ही नियत शुल्क जमा कर पुनः लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।
- 9— अगर कोई व्यवसायी ऐसा कोई उद्योग लगाता या परिवर्तन करता है। जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ऐसी सूचना मिलने पर जाँच की जा सकती है। और लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है।
- 10— इस हेतु निर्धारित दरों का दो-तिहाई के अद्यतन के आधार पर छपी दरों का दृष्टिगत रखते हुए एवं शा0सं0-161सीएम/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्धारित दरों के अनुसार नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर में मदवार लाइसेन्स की दरें निम्नवत होगी—

क्र० सं०	लाइसेन्स की मद	निर्धारित वार्षिक दरें
1	2	3
		रुपये
होटल रेस्टोरेन्ट—		
1.	होटल लाजिंग तथा गेस्ट-हाउस बारात घर	15,000.00
2.	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/जलपान गृह/	5,000.00
स्वास्थ्य सेवा—		
3. (क)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20बेड तक)	15,000.00
(ख)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20बेड से 50 बेड तक)	25,000.00
(ग)	प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (50बेड से ऊपर तक)	35,000.00
(घ)	एक्सरे /अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर /पैथालोजी सेन्टर	10,000.00
(ङ.)	प्राइवेट क्लीनिक/डिस्पेन्सरी/डेन्टर क्लीनिक	5,000.00
(च)	मेडिकल स्टोर	5,000.00
	(एलोपैथिक/आर्युवेदिक/होम्योपैथिक एवं पशुओं की दवाइयों की दुकान)	
परिवहन—		
4.(क)	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	12,000.00
(ख)	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	5,000.00
5.	बस/ट्रक	2,500.00
6.	मिनी बस/टैक्सी, जीप, टाटा मैजिक, विन्जर आदि रामतुल्य वाहन	2,000.00
7.	अन्य चार पहिया वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु समस्त वाहन)	1,500.00
8.	आटो रिक्शा 7 सीटर तक/आटो रिक्शा (माल वाहक)/ई-रिक्शा	600.00
9.	ठेला (इंजन चालित)/ट्रैक्टर-ट्राली (व्यवसायिक प्रयोग)	500.00
10.	रिक्शा ठेला (माल/आइसक्रीम)/रिक्शा/तांगा/बैलगाड़ी	250.00
11.	मोटर/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड गैरेज (रिपेयरिंग/सर्विसिंग)	1,500.00
12.	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	10,000.00
13.	दो पहिया वाहन की एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	6,000.00
14.	साइकिल की दुकान (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	1,000.00
15.	मोटर एवं दोपहिया का टायर एवं पंचर मरम्मत आदि अन्य सम्बन्धित दुकान जो कि इस श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं।	500.00
अन्य व्यवसाय		
16.	हाउसिंग, लीजिंग, रिज्यूडरी नॉन बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड एवं इन्श्योरेन्स कं० प्रति शाखा	9,000.00

1	2	3
		रुपये
17.	आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट/बिल्डिंग डिजाइनर (इस्टीमेटर एवं वैल्युअर आदि।)	3,000.00
18.	आइस,कोल्ड ड्रिक्स,सोडा वाटर एवं मिनरल वाटर के निर्माता/विक्रेता/एजेन्सी	5,000.00
19.	देशी शराब (प्रति दुकान)	7,000.00
20.(क)	आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं वियर की दुकान	12,000.00
(ख)	आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित मॉडल शॉप/बार/वियर बार (बैठकर विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं वियर पीने एवं खाने की सुविधा युक्त दुकान)	15,000.00
21.	तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला एवं पान मैटिरियल्स की दुकान	5,000.00
22.	किराना की दुकान/जनरल स्टोर	1,200.00
23.(क)	इलेक्ट्रिकल्स स्टोर	1,200.00
(ख)	इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का सेल्स स्टोर/शो-रूम/गोदाम	2,000.00
24.	कपड़ा/ रेडीमेड कपड़ा की दुकान/जूता की दुकान	1,200.00
25.	ज्वैलरी की दुकान	2,000.00
26.	कम्प्यूटर, मोबाइल, टी0वी0, फ्रिज व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सर्विस व मरम्मत तथा चिप, मोबाइल टैरिफ, रिचार्ज, ई-टाप अप आदि की दुकान।	1,500.00
27.(क)	किताब,कापी, लेखन सामग्री, मैंगजीन, न्यूज पेपर आदि की दुकान एवं एजेन्सी	500.00
(ख)	फोटो कापी एवं लेमिनेशन, कम्प्यूटर टाइपिंग तथा रोजगार एवं अन्य फार्म	600.00
(ग)	कॉल सेन्टर/पी0सी0ओ0/फैक्स/फोटोग्राफी एवं फोटो फ्रेमिंग आदि की दुकान	500.00
(घ)	प्रिन्टिंग प्रेस/छपाई की दुकान/फ्लेक्स एवं बैनर प्रिन्टिंग की दुकान	2,000.00
28.(क)	ग्रेनाइट/मार्बल/बिल्डिंग मैटिरियल्स (गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेन्ट व सरिया आदि)	5,000.00
(ख)	हार्डवेयर, टाइल्स, प्लम्बरिंग व सेनेटरी आइटम, चूना, पेन्ट्स व प्लाई की दुकान	5,000.00
(ग)	बॉस, बल्ली, पटरा आदि की बिक्री एवं किराये पर देने की दुकान	500.00
29.	आटो मोबाइल्स/कृषि मशीनरी पार्ट्स स्टोर	1,000.00
30.(क)	लोहे के सामानों की दुकान	1,000.00
(ख)	बर्तन, क्राकरी आदि की दुकान	1,500.00
31.(क)	टेण्ट हाउस	3,000.00
(ख)	बिजली सजावट/रोड लाइट/डी0जे0/साउन्ड सर्विस आदि	2,400.00
32.	पेट्रोल/डीजल एवं सी0एन0जी0/पी0एन0जी0/एल0पी0जी0 पम्प एवं कुकिंग गैस एजेन्सी	6,000.00

1	2	3
		रुपये
33.(क)	ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून आदि	1,000.00
(ख)	सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें	1,000.00
34.(क)	मिठाई एवं पेठा के निर्माता एवं विक्रेता	1,000.00
(ख)	कैटर्स, बेकर्स, चाट, बतासा व अन्य नमकीन/रेडीमेड मिठाईयों आदि की दुकान	1,000.00
(ग)	बकरा, मुर्गा व मुर्गी के मांस की दुकान	2,000.00
(घ)	गोट फार्म पोल्ट्री फार्म एवं अण्डा की दुकान	1,500.00
(ङ)	सब्जी/फल की थोक दुकान	1,500.00
(च)	सब्जी/फल की फुटकर दुकान/मौसमी फलों व गन्ने के जूस	600.00
35.	अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, वनस्पति घी, देशी घी, चीनी, गुड़ व खाड़सारी की थोक दुकान	2,000.00
36.(क)	स्पेलर / तेल मशीन, दाल मशीन	1,200.00
(ख)	आटा चक्की, आरा मशीन, लकड़ी विक्रेता, लकड़ी के समानों, फर्नीचर्स आदि का निर्माण एवं बिक्री।	1,200.00
(ग)	प्लास्टिक ट्रेडर्स, खिलौना, चूड़ी व बिसात खाना	2,000.00
(घ)	टेलरिंग शॉप (दो सिलाई मशीन एवं उससे अधिक)	200.00
(ङ)	कबाड़ की दुकान	2,000.00
37.	मसाले की थोक व फुटकर दुकान	500.00
38.	इन्जीनियरिंग वर्क्स, फ़ैब्रीकैटर्स एवं खराद की दुकान	1,000.00
39.(क)	रसायनिक खाद (फर्टिलाइजर), कृषि रक्षा रसायन/कीटनाशक आदि की दुकान	2,000.00
(ख)	सब्जी, फल एवं अनाज के बीज की दुकान	1,000.00
(ग)	गोदाम	2,000.00
(घ)	सूचीबद्ध दुकानों के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसाय से सम्बन्धित दुकाने	500.00

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर यह प्राविधान करती है कि उपविधियों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर दोष सिद्ध होने न्यायालय द्वारा रु0 2,000.00/- (दो हजार रुपये मात्र।) तक अर्थदण्ड आरोपित किया

जायेगा जो प्रथम बार दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए यदि सिद्ध होता है कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है तो रु0 100.00 (एक सौ मात्र।) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न चुकाने पर छः माह तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत, राजेसुल्तानपुर,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत लालगोपालगंज, प्रयागराज

12 फरवरी, 2026 ई0

सं0 1337/गजट/न0प0लाल0/2025-26-नगर पंचायत, लालगोपालगंज अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2025 बनायी है। जिसमें आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। इस उपविधि के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होगा। तत्क्रम में कार्यालय नगर पंचायत, लालगोपालगंज, प्रयागराज द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या-1294/न0प0लाल0/2025-26 दिनांक को “दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा” में प्रकाशित कर 15 दिवस के भीतर आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था जिसके सापेक्ष 15 दिवस के पश्चात् कार्यालय नगर पंचायत, लालगोपालगंज, प्रयागराज में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त ना होने की दशा में प्रकाशित की गयी उपविधि को उसी रूप में सरकारी प्रेस में गजट हेतु भेजा जा रहा है। निम्नवत् उपविधि को गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज में प्रभावी होगी।

परिभाषाये—

- (1) “अध्यक्ष का तात्पर्य” नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज के अध्यक्ष से है।
- (2) “अधिसासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज के अधिसासी अधिकारी से है।
- (3) “नगर पंचायत का तात्पर्य” नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

- (1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।
- (2) किसी स्वामी के मरे हुए हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अण्डा/दुकान एवं टेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तथा वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या-3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग वाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(10) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़ों को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1000.00 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500.00 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 10.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 20.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।

(14) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में कचरा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्रावधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

- 1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2— गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
- 4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे-अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 6— बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थ-दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबंधन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2) लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000.00 रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर की स्वयं की होगी।

(6) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओ0एस0एस0 (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में किये जाने पर जुर्माना/अर्थ-दण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 या मोबाईल नम्बर-7398569309 पर सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन, जुर्माना/अर्थ-दण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत लालगोपालगंज अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 1,500.00 रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत लालगोपालगंज या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउट-लेट न हों।

(11) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये है जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल बेन्च मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल बेन्च मार्क निम्नवत है—

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थ-दण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये
1.	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टॉयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होन का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2.	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/एग्जॉस्ट फैन द्वारा	500
4.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6.	शौचालयों को ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7.	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8.	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10.	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11.	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12.	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएं।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाएं जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज के सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) निकाय सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 तथा मोबाइल नम्बर-7398569309 पर सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुए जूराना धनराशि मु0 2,000.00 रुपये वसूल किया जाएगा।

4— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम-2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम-2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—

(क) पोलीस्टाईरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे—कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, स्टीकर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जूराना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज में भी लागू है।

क्र० सं०	प्रतिष्ठित श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
1	2	3
		रुपये
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम – 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम – 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजनकक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

5— जल मूल्य वर्गीकरण एवं निर्धारण—नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज सीमान्तगत आने वाले प्रत्येक वार्डों में वर्तमान में केवल घरेलू कनेक्शन हेतु 30.00 रुपये प्रति माह लिया जाता है। इसे निम्नवत तालिका के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

क्र० सं०	कनेक्शन का वर्गीकरण	शुल्क प्रति माह
1	2	3
		रुपये
1.	घरेलू कनेक्शन	30.00
2.	व्यवसायिक कनेक्शन	35.00
3.	औद्योगिक कनेक्शन	100.00

उक्त शुल्क में प्रत्येक दो वर्ष में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। नये कनेक्शन हेतु रुपये 630.00 निर्धारित किया जाता है।

नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत, लालगोपालगंज, जनपद-प्रयागराज बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

जुलेखा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, लालगोपालगंज,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सायरा खातून पत्नी श्री सिराज अहमद है, जो मेरे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर की जॉच आख्या में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7070 0262 8310 में मेरा नाम गुड्डी अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सायरा खातून पत्नी श्री सिराज अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सायरा खातून पत्नी श्री सिराज अहमद,
निवासी- ग्राम करोमी, पोस्ट-कुछमुछ,
थाना को0 देहात, तहसील-लम्भुआ,
जनपद सुलतानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आस्था तिवारी (ASTHA TIWARI) पुत्री सत्य प्रकाश तिवारी है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5682 7396 8278 में उसका नाम हर्षिता

(HARSHITA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम आस्था तिवारी (ASTHA TIWARI) पुत्री सत्य प्रकाश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सत्य प्रकाश तिवारी,
पुत्र विजय कुमार तिवारी,
नि0 -ग्राम व पोस्ट छापर, थाना-खीरी,
तहसील-कोरांव, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीपेश कुमार पुत्र जितेन्द्र है जो शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9124 9238 9719 में मेरा नाम दीपांशु अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीपेश कुमार पुत्र जितेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपेश कुमार पुत्र जितेन्द्र,
नि0- हिम्मतपुर नगला गलू,
जिला एटा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुराग सिंह पुत्र श्री रावेन्द्र सिंह है। जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम अनुराग सिंह से बदलकर अनुराग सिंह भदौरिया (Anurag Singh Bhadauriya) रख लिया है। भविष्य में मुझे अनुराग सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनुराग सिंह भदौरिया,
नि0-ए-246,ए-ब्लाक, निकट-नीलगिरी काम्पलेक्स,
इन्दिरानगर, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जहीर अली (JAHIR ALI), पुत्र रियासत अली है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, पासपोर्ट व अठवीं पास TC, एवं उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड, सं0-6751 1211 0127 में मेरा नाम जहीर अली रियासत अली शेख अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जहीर अली (JAHIR ALI), पुत्र रियासत अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जहीर अली,
पुत्र रियासत अली,
85, सिंहपुर छतरी का पुरा,
सुरियावाँ, जनपद भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिशिका तिवारी पुत्री अमित कुमार तिवारी है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5133 2127 5502, उसका नाम अकाता (AKATA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिशिका तिवारी (RISHIKA TIWARI) पुत्री अमित कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमित कुमार तिवारी,
पुत्र गोपाल तिवारी,
पता- कसन्नापुर, पो0 बालूपुर जिला बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नीरज राठौर पुत्र दीपचन्द्र राठौर है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2344 2575 0681 में उसका नाम यश राठौर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नीरज राठौर पुत्र दीप चन्द्र राठौर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दीपचन्द्र राठौर,
पता- शास्त्रीनगर तहसील सदर,
थाना कोतवाली जनपद सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स राजनरायन सिंह ग्राम- चेता छपरा, सुरेमनपुर, तह0-बैरिया, बलिया उ0प्र0 नाम क फर्म की पार्टनरशिप

डीड दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को बनायी गयी, जिसका पंजीकरण पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत पंजीकरण सं0-BAL/0012013 पर दिनांक 20 मई, 2022 को कराया गया। फर्म पंजीकरण के समय 01. श्री नीरज कुमार सिंह, 02. श्री राजनरायन सिंह पार्टनर थे। दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को श्री राजनरायन सिंह की मृत्यु हो गयी तथा दिनांक 06 दिसम्बर, 2025 को श्रीमती अर्पणा सिंह को फर्म की नयी साझेदारी में सम्मिलित किया गया है और दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 की साझेदारीनामा के अनुसार वर्तमान में उक्त फर्म में 01 श्री नीरज कुमार सिंह, 02 श्रीमती अर्पणा सिंह साझीदार है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नीरज कुमार सिंह,
पार्टनर,
मेसर्स राजनरायन सिंह,
ग्राम चेता छपरा, सुरेनपुर,
तह0-बैरिया, बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स- रविन्द्र नाथ सिंह वार्ड नं0-13, न्यू कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में दो साझेदार रविन्द्र नाथ सिंह पुत्र श्री लल्लन सिंह व पियूष कुमार सिंह पुत्र श्री रविन्द्र नाथ सिंह निवासीगण न्यू कालोनी, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र है, जिसमें पियूष कुमार सिंह दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं, सारा हिसाब किताब चुकता है। इनके स्थान पर प्रिया सिंह पुत्री श्री रविन्द्र नाथ सिंह को सम्मिलित किया गया है फर्म के पार्टनरशिप डीड में बदलाव दिनांक 03 सितम्बर, 2025 के अनुसार दो साझेदार रविन्द्र नाथ सिंह पुत्र श्री लल्लन सिंह व प्रिया सिंह पुत्री रविन्द्र नाथ सिंह रहेंगे।

मेसर्स -रविन्द्र नाथ सिंह,
वार्ड नं0-13, न्यू कालोनी, राबर्ट्सगंज,
जनपद सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम किस्मती देवी पत्नी हीरालाल है जो मेरे निर्वाचन कार्ड परिवार रजिस्टर बैंक पासबुक, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5309 0252 8705 में मेरा नाम किसमतिया पत्नी हीरालाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम किस्मती देवी पत्नी हीरालाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

किस्मती देवी पत्नी हीरालाल,
निवासी ग्राम कटेहरी महमूदपुर, पोस्ट बन्दीकला,
तह0 मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवसागर पुत्र राजा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4929 3511 9285 में उसका नाम लखन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवसागर पुत्र राजा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजा,
पुत्र स्व0 हरिमोहन,
निवासी- खटवारा, राजापुर, चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम खुशी यादव (Khushi Yadav) पुत्री राजेश यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6626 4470

6924 में मेरी पुत्री का नाम ब्यूटी यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशी यादव (Khushi Yadav) पुत्री राजेश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश यादव,
पुत्र मंजीत यादव,
पता— सातनपुर बहादुरगंज गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रविन्द्र नाथ यादव पुत्र पोल्हावन यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—3354 4116 5443 में मेरा नाम अनूप सिंह यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रविन्द्र नाथ यादव पुत्र पोल्हावन यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रविन्द्र नाथ यादव,
निवासी— ग्राम भुलन्डीह, पो0 पोखरा,
थाना चन्दवक, तहसील केराकत,
जिला जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरा सही नाम रामनरायन चौधरी पुत्र चन्दूल है, जो मेरे खतौनी, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर व उप जिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—8083 9805 7727 में मेरा नाम चौधरी उर्फ रामनरायन चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामनरायन चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रामनरायन चौधरी,
पुत्र चन्दूल,
निवासी — गिरहिया पो0 लेदी फार्म,
तहसील निचलौल, जनपद महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम चेतन श्रीवास्तव पुत्र शांत रंजन श्रीवास्तव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—8608 3306 3186 में उसका नाम मास्टर चेतन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम चेतन श्रीवास्तव पुत्र शांत रंजन श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शांत रंजन श्रीवास्तव,
पुत्र एम0सी0 श्रीवास्तव,
पता— 638/378/4/1, अपूर्व विहार कॉलोनी,
पोस्ट सीमैप, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दीपाली (DEEPALI) पुत्री राम धीरज है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—3277 5755 2279 में उसका नाम देपेले (DEPILE) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीपाली (DEEPALI) पुत्री राम धीरज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम धीरज,
पुत्र राम औतार,
निवासी— रसूलपुर, थाना सतरिख ब्लाक हरख,
जनपद बाराबंकी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम चन्दन कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7856 2546 1971 में उसका नाम Sandeap अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम चन्दन कुमार पुत्र कृष्ण बिहारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कृष्ण बिहारी,
पुत्र महावीर,
निवासी— ग्राम डौडि, बबुरीगांव बनीकोडर,
सिल्हौर बाराबंकी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सतीश सिंह (SATISH SINGH) पुत्र अमरनाथ सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4827 5245 7980 में मेरा नाम बिनोद सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सतीश सिंह (SATISH SINGH) पुत्र अमरनाथ सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सतीश सिंह,
पुत्र अमर नाथ सिंह,
निवासी— ग्राम व पोस्ट मैनपुर,
तह0 गाजीपुर, जनपद गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश कुमार (SHIVANSH KUMAR) पुत्र राज कुमार साहू (RAJ KUMAR SAHU) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—7558 1284 9183 में उसका नाम निखिल साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवांश कुमार (SHIVANSH KUMAR) पुत्र राज कुमार साहू (RAJ KUMAR SAHU) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनीता देवी,
पत्नी राज कुमार साहू,
263/214, कर्नेलगंज,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अमाया प्रताप सिंह, (AMAYA PRATAP SINGH) पुत्री बृजकिशोर (BRIJ KISHORE) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—2081 9862 2099 में उसका नाम प्रज्ञा प्रताप अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अमाया प्रताप सिंह, (AMAYA PRATAP SINGH)

पुत्री बृज किशोर (BRIJ KISHORE) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बृज किशोर,
पुत्र बाल गोविन्द,
निवासी-638/004/41ए शिवाजी पुरम लेन,
नं0 4 इंदिरा नगर, जनपद लखनऊ।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Siddharth Mishra S/o Kuldip Mishra which is mentioned in his educational records. By mistake in the Aadhar Card No-6593 9888 5223 his name has been mentioned as Piyush Mishra, which is wrong. In Future my son should be known by his correct name Siddharth Mishra S/o Kuldip Mishra.

It is hereby certified that all the legal formalities in this regard have been completed by me.

Kuldip Mishra,
R/o Vill.-Ahirauli, Po.-Ayar,
Thana Cholahpur Dist-Varanasi.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवराज यादव पुत्र भीमल यादव है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र एवं उपजिलाधिकरी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6164 6977 8257 में मेरा नाम शिवजी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवराज यादव पुत्र भीमल यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिवराज यादव,
पुत्र भीमल यादव,
नि0 नवकागांव पोस्ट झरकटहा थाना रेवती,
तहसील बेरिया जनपद बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका वर्मा पुत्री बृजेश वर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5246 0136 8848 में उसका नाम अक्षिता मौर्या अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका वर्मा पुत्री बृजेश वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बृजेश वर्मा,
पता- ग्राम व पो0 लिलकर
तहसील-सिकन्दरपुर, जिला बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम (DEEPA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-6383 8852 2360 में उका नाम प्रतिष्ठा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीपा (DEEPA) पुत्री दिलीप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिलीप,
पुत्र मिथिलेश चन्द्र,
ग्राम-कचरा, पोस्ट-मानपुर,
तहसील-बारा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम त्रिलोक नारायण सिंह (TRILOK NARAYAN SINGH) पुत्र श्री रितेश कुमार सिंह है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 8177 1423 9877 में उसका नाम त्रिलोकी नाराया सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम त्रिलोक नारायण सिंह (TRILOK NARAYAN SINGH) पुत्र श्री रितेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रितेश कुमार सिंह,
पुत्र श्री रामबली सिंह,
निवासी— ग्राम गड़ौली, कमहरिया, पो० गड़ौली,
थाना कछवा, जिला मीरजापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश यादव पुत्र लाल चन्द्र यादव है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम शिवांश यादव से बदलकर सक्षम यादव (Saksham Yadav) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को सक्षम यादव (Saksham Yadav) पुत्र लालचन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लालचन्द्र यादव,
पुत्र राम करन यादव,
निवासी— 130 पलिया जगमोहन सिंह पलिया,
मु कुचेरा अयोध्या (फैजाबाद), उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्रपाल (RUDRA PAL) पुत्र लाल बहादुर पाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—6726 8567 7368 में उसका नाम शाश्वत पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र पाल (RUDRA PAL) पुत्र लाल बहादुर पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लाल बहादुर पाल,
पुत्र महाराजदीन पाल,
निवासी— ग्राम कोंडरा मादूपुर तेजगढ़,
प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या श्री साहू (AARYA SHREE SAHU) पुत्री संजू साहू है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—5116 1706 5499 में उसका नाम आर्या अदिति साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आर्या श्री साहू (AARYA SHREE SAHU) पुत्री संजू साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनुपमा साहू,
पत्नी संजू साहू,
268/229 नई बस्ती कीडगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आशिया बानो (Ashiya Bano) पुत्री नौशाद अहमद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5744 3578 1328 में मेरी पुत्री का नाम सारिया बानों अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आशिया बानों (Ashiya Bano) पुत्री नौशाद अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शाहीना बेगम,
पत्नी नौशाद अहमद,
पता— मन्दरदेहमाफी तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जागृति पुत्री शिव शंकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0- 4362 6194 1964 में मेरा नाम जैनब खातून अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जागृति पुत्री शिव शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

जागृति,
पुत्री शिवशंकर,
निवासी— 306-बी, टैगोर टाउन,
नियर गीता हॉस्पिटल, इलाहाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिव्यांश आनन्द पुत्र निखलेश आनन्द है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7961 9502 4222 में मेरा नाम दिव्यांशु आनन्द

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिव्यांश आनन्द पुत्र निखलेश आनन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिव्यांश आनन्द,
पुत्र निखलेश आनन्द,
नि0-61/25, दरियाबाद, तहसील सदर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरुष तिवारी (ARUSH TIWARI) पुत्र बिपिन चंद्र तिवारी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-6716 3396 2738 में उसका नाम अर्श तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरुष तिवारी (ARUSH TIWARI) पुत्र बिपिन चंद्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

बिपिन चंद्र तिवारी,
पुत्र द्वारिका प्रसाद तिवारी,
पता—ईशीपुर सलहिपुर, सलहिपुर कंजश,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आद्रिका शर्मा (ADRIKA SHARMA) पुत्री स्व0 निर्भय कुमार शर्मा, माता लता शर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 6073 5073 5915 में उसका नाम अरदिका शर्मा (ARDIKA SHARMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आद्रिका शर्मा (ADRIKA SHARMA) पुत्री स्व0 निर्भय कुमार शर्मा, के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लता शर्मा,
पत्नी स्व० निर्भय कुमार शर्मा,
पता-554/460 छोटा बरहा, आलमबाग,
बख्शी तालाब लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिखा पाण्डेय "SHIKHA PANDEY" पुत्री बलराम पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7708 7273 1492 में उसका नाम गौरी पाण्डेय "GAURI PANDEY" अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिखा पाण्डेय "SHIKHA PANDEY" पुत्री बलराम पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मंजू पाण्डेय,
पत्नी बलराम पाण्डेय,
निवासी- 673/256 दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नन्दिता सेन (NANDITA SEN) पुत्री नन्द लाल सेन (NAND LAL SEN) है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंग्रेजी में नन्दिता सेन (NANDITA SEN) अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-2407 7628 3201 में उसका नाम अंग्रेजी में नन्दिता सेन (NANDITS SEN) अंकित हो गया जो कि अशुद्ध व गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नन्दिता सेन (NANDITA SEN) पुत्री

नन्द लाल सेन (NAND LAL SEN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

नन्द लाल सेन,
पुत्र छेदी लाल सेन,
ग्राम-हाजीगंज पोस्ट सेवइत,
तहसील सोरांव जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राम प्रसाद गुप्ता पुत्र गौरी शंकर है जो मेरे परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जमीन से सम्बन्धित खतौनी तथा उपजिलाधिकारी के जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-6582 4584 5930 में मेरा नाम पोडई दर्ज है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राम प्रसाद गुप्ता पुत्र गौरी शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राम प्रसाद गुप्ता,
ग्राम सेतापुर पो० बिहारगंज तह० सदर,
जनपद प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पी ज्योत्सना (P Jyotsana) पुत्री पवन कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9631 7479 9917 में मेरा नाम पवनेश ज्योत्सना अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पी ज्योत्सना (P Jyotsana) पुत्री पवन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पी ज्योत्सना,
पुत्री पवन कुमार,
नि0 टाइप-4-60, आफिसर कालोनी,
पनकी पावर हाउस, पनकी, पकबहादुर,
नगर कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया कुशवाहा (Shreya Kushwaha) पुत्री आदित्य कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7556 5290 9332 में मेरी पुत्री का नाम पलक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया कुशवाहा (Shreya Kushwaha) पुत्री आदित्य कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आदित्य कुमार,
पुत्र सूरज प्रकाश,
पता-13/12 करनपुर प्रयाग स्टेशन,
कचहरी सदर जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रवि चंद्र सरोज (Ravi Chandra Saroj) सुत राम कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3725 5162 8831 में मेरा नाम रवि कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रवि चंद्र सरोज (Ravi Chandra Saroj) सुत राम कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रवि चंद्र सरोज सुत राम कुमार,
नि0-राजापुर मुफरिद पोस्ट कन्हई हनुमानगंज,
तहसील पट्टी, प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुषमान द्विवेदी पुत्र अनूप द्विवेदी है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4299 5554 9487 में उसका नाम आयुष द्विवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुषमान द्विवेदी पुत्र अनूप द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनूप द्विवेदी पुत्र राम निरंजन द्विवेदी,
ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट डीहा,
तहसील करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार था जो उसके कक्षा- पांचवी तक के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे पुत्र के कक्षा-6 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2022 एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा 2024 तक के शैक्षिक अभिलेखों में उसका नाम अजय प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार अंकित है उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र का ही है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अजय प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजकुमार,
पुत्र स्व० शिवलाल,
नि०— सरदारपुर पो० जोनिहां,
तह०, बिन्दकी जिला फतेहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम (PRAKARMYA DUBEY) प्राकाम्य दुबे पुत्र अमिय कुमार दुबे है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—7846 9138 4477 में उसका नाम कृष्ण मंगलम दुबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्राकाम्य दुबे पुत्र अमिय कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमिय कुमार दुबे,
पुत्र स्व० यज्ञ नारायण दुबे,
नि०— सदर तहसील के सामने की गली,
महुवरिया मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रोहन (ROHAN) पुत्र आनंद कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—8584 2621 3252 में उसका नाम आनंद कुमार (ANAND KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रोहन (ROHAN) पुत्र आनंद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आनंद कुमार,
पता—ग्राम, बच्चूपुरवा पो०— मोतीपुर कला,
थाना सिरसिया, जिला—श्रावस्ती, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूरज पुत्र जय सिंह है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 8962 5227 3890 में उसका नाम बाबू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूरज पुत्र जय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मंजू देवी,
पत्नी जय सिंह,
नि०— काशीपुर, कुरहुंआ, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति मिश्रा (ADITI MISHRA) पिता राजेश मिश्रा है जो कि उसके सभी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4789 0122 7462 में उसका नाम चाहत मिश्रा अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिति मिश्रा (ADITI MISHRA) पुत्री राजेश मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

सीमा देवी,
पत्नी राजेश मिश्रा,
निवासिनी— जोपा, पोस्ट सुपंथा,
जिला मिरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आर्यन पाण्डेय (Aryan Pandey) पुत्र विरेन्द्र पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 8415 5662 8821 में मेरा नाम आर्यश पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आर्यन पाण्डेय पुत्र विरेन्द्र पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आर्यन पाण्डेय,
पुत्र विरेन्द्र पाण्डेय,
निवासी ग्राम देवानंदपुर चोलापुर,
कटारी वाराणसी उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नंदिनी जायसवाल पुत्री भरत कुमार है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 7162 9635 7737 में उसका नाम सीमरा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नंदिनी जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

भरत कुमार,
पुत्र नंद लाल,
निवासी काशीपुर,
कुरुहुआँ, वाराणसी, उ०प्र०।

NOTICE

I inform you all that my Aadhaar Card Number (5144 7135 0454) is mistakenly written as GAURIKA, whereas all my educational documents

mention DWARIKA, which is true and correct. In future I should be known and recognized by this name DWARIKA daughter of Rampratap, I applicant certified that all the legal procedure done by myself.

Dwarika
R/o Anantrampur,
Sanayakheda, Post-Girisi,
Police Station, Musanagar,
Tehsil-Bhognipur, Kanpur Dehat.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानवी पुत्री सुरजीत है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०— 3592 7705 4469 में उसका नाम अंशुमन प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मानवी पुत्री सुरजीत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विविध औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सरिता प्रजापति,
W/o सुरजीत,
निवासी— ग्राम गढ़ी बाजार पो० अन्धावा,
पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम नाहिद जेहरा पत्नी हिरावल अब्बास पुत्री शमशाद अली है जो मेरे पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8031 3306 5566 में मेरा नाम माहिद जेहरा पत्नी हिरावल अब्बास अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नाहिद जेहरा पत्नी हिरावल अब्बास पुत्री शमशाद अली के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नाहिद जेहरा,
पत्नी हिरावल अब्बास,
निवासिनी-544/314, हरदोई रोड,
सरफराजगंज, बालागंज, लखनऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आनन्द कुमार सेठ (Anand Kumar Seth) पुत्र संतोष कुमार सेठ है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4153 9159 2868 में उसका नाम शिवम कुमार अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आनन्द कुमार सेठ (Anand Kumar Seth) पुत्र संतोष कुमार सेठ के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष कुमार सेठ,
पुत्र सत्य नारायण सेठ,
एन 10/300 लखराव बजरडीहा वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंश पाण्डेय पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-7144 1942 1123 में मेरा नाम अलख पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंश पाण्डेय पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंश कुमार पाण्डेय,
पुत्र विनोद कुमार पाण्डेय,
निवासी- रैपुरा, थाना-रैपुरा, तह० मानिकपुर,
पोस्ट रैपुरा, जिला चित्रकूट, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राजबिया बानो (RAZBIYA BANO) पुत्री मोहम्मद वसीम है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार संख्या 5731 3625 7375 में नाम रजविया बानो (RAJVIYA BANO) अंकित है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को राजबिया बानो (RAZBIYA BANO) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं हैं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई ।

गुलनाज बानो,
पत्नी मोहम्मद वसीम,
पता- चकौदी दाउदपुर चकौदी खोखीपुर,
जनपद सुल्तानपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्लोक पाण्डेय (SHLOK PANDEY) पुत्र अमरेश कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-7839 5945 4707 में उसका नाम आशु पाण्डेय (ASHU PANDEY) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को श्लोक पाण्डेय (SHLOK PANDEY) पुत्र अमरेश कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अमरेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय,
निवासी ग्राम जेवनिया, शुकुलपुर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शजर अब्बास (Shajar Abbas) पुत्र मिर्जा साजिद हसन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 3076 4108 1572 में मेरा नाम मो० शजल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शजर अब्बास पुत्र मिर्जा साजिद हसन से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताओं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शजर अब्बास,
पुत्र मिर्जा साजिद हसन,
निवासी— मोहल्ला—गदन अर्जानी, पोस्ट सदर,
थाना कोतवाली, जिला—जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० विराज स्टील, नियर जी०बी० ग्लास, धौलपुरा रोड, आगरा रोड, फिरोजाबाद में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री सौरभ जैन, श्री अमित जैन हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक—31 मई, 2025 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से श्री पवन कुमार जैन फर्म में साझेदार हो गये है। अब फर्म को श्री सौरभ जैन, श्री अमित जैन, श्री पवन कुमार जैन हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

सौरभ जैन,
साझेदार,
फर्म मे० विराज स्टील, नियर जी०बी० ग्लास,
धौलपुरा रोड, आगरा रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्नेह ओवरसीज, ए3/604, टॉवर न0-6, पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश 201308 पंजीकरण संख्या जीबीएन/0018154, दि० 13 मई, 2024 की साझीदारीनामा दि० 14 अप्रैल, 2024 के अनुसार फर्म साझीदार—1— सुनील कुमार साध 2—रेश्ना कुमारी साध है। फर्म साझीदारों द्वारा आपसी सहमति से विघटन डीड दि० 16 मार्च, 2026 निष्पादित कर फर्म का विघटन किया गया है।

सुनील कुमार साध,
साझीदार,
फर्म मेसर्स स्नेह ओवरसीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की फर्म मे० इण्डियन कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स इंडस्ट्रीज, चकभीटारा सीतापुर रोड, शाहजहाँपुर 242001 जिसकी पंजीकरण सं०—SHA/0008382 है, यह फर्म दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से दिनांक 20 मार्च, 2026 को साझेदार श्री अशीष गुप्ता पुत्र श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त हो गये है तथा उक्त के स्थान पर नये साझेदार के रूप में श्री रुद्राक्ष गुप्ता पुत्र श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, छोटी सब्जी मण्डी, बहादुरगंज, जिला शाहजहाँपुर को उक्त फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार है कमशः 1. मुकेश चन्द्र गुप्ता 2. रुद्राक्ष गुप्ता साझेदार हैं।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुकेश चन्द्र गुप्ता,
साझेदार,
मे० इण्डियन कैमिकल्स एण्डफर्टीलाइजर्स इंडस्ट्रीज,
चकभीटारा, सीतापुर रोड, शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं साझेदार राजेश कुमार पुत्र श्री लल्लू राम निवासी ग्राम सिहानी, जिला सीतापुर फर्म मेसर्स—आर.वाई. हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपार्टर (M/s- R.Y. HANDLING AND TRANSPORTER) पता— ग्राम सिहानीपारा, पगरोई, पो०—सेलूमऊ जिला सीतापुर 261121 के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में छः साझेदार श्री राजेश कुमार पुत्र श्री लल्लू राम निवासी ग्राम सिहानी, जिला सीतापुर, श्री विष्णु चन्द्र निगम पुत्र स्व० राम प्रसाद निगम, निवासी—आर्य नगर, सीतापुर, श्री राम पाल सिंह यादव पुत्र श्री हंस राम यादव निवासी—मास्टर कालोनी, सीतापुर, श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री राम चुन्द्र सिंह, निवासी—जिला सीतापुर, श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जयपाल वर्मा निवासी—रानी कोठी, जिला सीतापुर एवं श्रीप्रकाश सिंह पुत्र श्री संकटा सिंह, निवासी— मोहल्ला भट्टा, जिला सीतापुर थे। दिनांक—01 अप्रैल, 2026 को दो साझेदार श्री विष्णु चन्द्र निगम एवं श्री जितेन्द्र कुमार स्वेच्छा से साझेदारी से अलग हुए हैं। अब सुनील कुमार चौधरी पुत्र बलभद्र सिंह चौधरी निवासी—ए—301 जिला सीतापुर, एवं श्री कपिल कुमार पुत्र देशपाल निवासी—रियो भिठिया जिला सीतापुर दिनांक— 01 अप्रैल, 2026 से फर्म की भागीदारी में शामिल किये गए हैं। अब फर्म में कुल छः साझेदार श्री राजेश कुमार, श्री राम पाल सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार, श्री श्रीप्रकाश सिंह, श्री सुनील कुमार चौधरी एवं श्री कपिल कुमार हैं।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में सभी विविध औपचारिकताएँ, मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजेश कुमार,

साझेदार,

फर्म मेसर्स आर. वाई. हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपार्टर,

पता— ग्राम—सिहानीपारा, पगरोई,

पो०— सेलूमऊ, जिला सीतापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं साझेदार श्री विनोद कुमार शाही, पुत्र श्री तेज बहादुर शाही, निवासी ग्राम—रौतापार, जिला—गोरखपुर फर्म

मेसर्स— शुभम एंटरप्राइजेज (M/s SHUBHAM ENTERPRISES) पता—ग्राउंड फ्लोर नेहरू एनक्लेव, गोमती नगर, लखनऊ (U.P.)—226010 के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में चार साझेदार श्री विमल कुमार राय पुत्र श्री अनिरुद्ध राय, निवासी—8/43 यमन सहारा एस्टेट, कुनराघाट थाना—खोराबार, गोरखपुर, श्री विनोद कुमार शाही, पुत्र श्री तेज बहादुर शाही, निवासी ग्राम—रौतापार, जिला—गोरखपुर, श्री राम आशीष राय, पुत्र स्वर्गीय कैलाश राय निवासी—तिहा मुहम्मदपुर, जिला—गोरखपुर, श्री सौरभ कुमार राय, पुत्र श्री रामगया राय निवासी— फरसारा खुर्द, जिला—मऊ। दिनांक— 17 अप्रैल, 2026 को साझेदार श्री सौरभ कुमार राय जी स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से अलग अलग हुए हैं। अब फर्म में कुल तीन साझेदार श्री विमल कुमार राय, श्री विनोद कुमार शाही एवं श्री राम आशीष राय हैं।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्री विनोद कुमार शाही,

साझेदार,

फर्म मेसर्स— शुभम एंटरप्राइजेज,

(M/s. SHUBHAM ENTERPRISES),

पता—ग्राउंड फ्लोर नेहरू एनक्लेव,

गोमती नगर, लखनऊ (U.P.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जैन फिलिंग स्टेशन, कालानंद रोड़ शेरकोट, जिला—बिजनौर (यू०पी०) पंजीकरण सं० एम0बी0डी0—3938 में तीन पार्टनर श्री सुमत चन्द जैन, श्री सुरेश चन्द जैन एवं श्रीमती सुशीला जैन थे। पार्टनर श्रीमती सुशीला जैन की दिनांक 03 अगस्त, 2025 को मृत्यु हो गयी थी जिनकी मृत्यु के उपरान्त दोनों पार्टनर श्री सुमत चन्द जैन एवं श्री सुरेश चन्द्र जैन ने दिनांक 18 अगस्त, 2025 को साझीदारी विलेख निष्पादित कर कारोबार को जारी रखा गया। वर्तमान में दोनो साझीदार उक्त व्यापार को साझीदारी में चलाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण दोनों

साझीदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को उक्त फर्म डिजोल्व कर दी है, तथा फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है।

सुमत चन्द जैन व सुरेश चन्द जैन,
साझीदार,
मेसर्स जैन फिलिंग स्टेशन, कालागढ़
रोड शेरकोट, जिला— बिजनौर (यू०पी०)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Ram Avtar Pandey And Sons, 15/203, A Civil Lines, Kanpur Kanpur Nagar 208001 का पंजीयन दिनांक 21 मई, 2020 पत्रावली सं० KAP/0006301 पर पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के अनुसार श्री राजेश कुमार पाण्डेय, श्री प्रकाश पाण्डेय, श्री रवि पाण्डेय व श्री आदर्श पाण्डेय साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 के अनुसार पूर्व साझीदार प्रकाश पाण्डेय का देहान्त दिनांक 21 सितम्बर, 2021 को हो गया व संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार श्री राजेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राम अवतार पाण्डेय ने अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है वर्तमान में श्री रवि पाण्डेय व श्री आदर्श पाण्डेय फर्म में बराबर के साझीदार हैं।

रवि पाण्डेय,
पार्टनर,
फर्म M/s Ram Avtar Pandey And Sons,
15/203-A, Civil Lines, Kanpur,
Kanpur Nagar.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स “श्री बजरंग स्टोन”, फ्लैट नं० 502, टावर 10, अलकनंदा इन्क्लेव, अवध विहार योजना, लखनऊ रजिस्ट्रेशन सं० 192642 पंजीकरण दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को कराया गया था तथा संशोधन 30 दिसम्बर

2020 को हुआ था जिसमें सुरेश प्रताप सिंह एवं जितेन्द्र बहादुर सिंह साझीदार थे। उक्त फर्म के प्रथम साझेदार सुरेश प्रताप सिंह दिनांक 06 जून, 2025 से स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। प्रथम साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। प्रथम साझेदार के स्थान पर दिनेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी 36 बी पुलिस कालोनी, माडल टाउन 2, डा मुखर्जी नगर, नार्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली 110009 को शामिल कर लिया गया है तथा फर्म का पता— परिवर्तित करके वर्तमान में मंगलम, जामो रोड, माधोपुर, गौरीगंज, अमेठी उ०प्र० 227409 कर दिया गया है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
साझेदार,
मेसर्स— श्री बजरंग स्टोन।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम शुशांत दीक्षित है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम बदल कर वैदिक दीक्षित रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वैदिक दीक्षित पुत्र राहुल दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

राहुल दीक्षित,
निवासी— 13/3 जी०ए० गोंविन्दनगर कालोनी,
कर्बला जी०टी०वी० नगर प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम भूमि उपाध्याय पुत्री अमित कुमार उपाध्याय है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है।

त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-5605 6594 5469 में उसका नाम आयुषी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम भूमि उपाध्याय पुत्री अमित कुमार उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

अमित कुमार उपाध्याय,
पता-2/175 सेक्टर एल, एल डी ए कॉलोनी,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राज कुमार सुत कड़ेदीन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9086 6551 9445 में मेरा नाम शैलेन्द्र अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राज कुमार सुत कड़ेदीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

राज कुमार,
पता-इब्राहिमपुर पो० परसीपुर थाना हथिगवां,
तहसील कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।